कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी–ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

क्रमांक / एफ–3 / 50 / 2015 / 10–11 / 5 / 4169 भोपाल, दिनांक 17/09/23

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला छतरपुर, जिला पन्ना एवं जिला टीकमगढ़ के अन्तर्गत केन–बेतवा लिंक परियोजना निर्माण हेतु (दौधन बांध) 6017 हेक्टेयर वन भूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्रं. 8-49/2016- FC दिनांक 16.08.2023

––0––

विषयांकित प्रकरण मे भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से चाही गई अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं की जानकारी का उत्तर निम्नानुसार संलग्न प्रस्तुत है :–

क्रं	चाही गई जानकारी	उत्तर
i	The user agency has not submitted the undertaking regarding condition no. 1, 13, 22 and 23 (ii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x).	आवेदक संस्था द्वारा प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त क्रमांक–1, 13, 22, 23 (ii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x) के संबंध में वचन पत्र **परिशिष्ट–1 से 11** में प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है।
ii	The State has mentioned about the payment of various dues and compensatory levies,however as per PARIVESH portal an amount of Rs 500,00,000/- has only been deposited so far.	इस परियोजना में सर्वप्रथम रू. 5.00 करोड़ की राशि परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जमा कराई गई है। तत्पश्चात इस परियोजना में जो भी राशियों का भुगतान किया जाना था, उसके लिये मांग पत्र को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया। नोडल अधिकारी द्वारा मांग पत्र अनुमोदित करने के बाद भुगतान हेतु चालान जनरेट किया गया। यह भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भारत कोष से किया जाना था। भारत कोष से Virtual खातों में भुगतान नहीं होता है। इस कारण भारत कोष से इस प्रस्ताव में परिवेश पोर्टल के माध्यम से जनरेट किये गये चालान का भुगतान नहीं हो पा रहा था। अतः नोडल अधिकारी मध्यप्रदेश से कैम्पा मद का खाता क्रमांक प्राप्त कर शेष सभी भुगतान मध्यप्रदेश कैम्पा के खाता क्रमांक 520101263743590 में किये गये हैं। इस परियोजना में किये गये सभी भुगतानों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में **परिशिष्ट–12** में संलग्न है। इन किये गये भुगतानों की पुष्टि नेशनल कैम्पा से करवाये जाने का अनुरोध है।

iii	In view of condition no. 2, the State Government and user agency has not submitted the details of total 6017.00 ha revenue area which is to be added to Panna Tiger Reserve and shall be declared as Reserve Forest/Protected Forest and brought under administrative control of Forest Department.	इस शर्त के अनुसार पन्ना टाईगर रिजर्व में 6017 हेक्टेयर गैर वनभूमि जोड़ी जानी है। इस आवश्यक 6017 हेक्टेयर के विरूद्ध 6207.419 हेक्टेयर गैर वनभूमि चिन्हांकित कर ली गई है। इस 6207.419 हेक्टेयर गैर वनभूमि की KML फाईल तथा ग्रामवार विवरण **परिशिष्ट–13** में संलग्न है। इस चिन्हित 6207.419 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से 3414.757 हेक्टेयर वनभूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम किया जा चुका है। नामांतरण के संबंध में अभिलेख प्रस्ताव के भाग–2 में अपलोड है। शेष 2792.662 हेक्टेयर गैर वनभूमि के नामांतरण की कार्यवाही प्रचलित है। इस गैर वनभूमि का नामांतरण होते ही इसके संबंध में अभिलेख पृथक से प्रस्तुत किये जायेंगे।
iv	The State has submitted an abstract prepared by the Collector Chattarpur, indicating that out of 2391.517 ha area proposed for handing over to forest department, only 1916.289 ha has been found suitable. Revenue papers have been submitted for some other areas, however the total extent/abstract of suitable land in case of other villages has not been submitted. The State shall submit a village wise abstract for the entire area proposed and found suitable.	इस प्रस्ताव में जिलाध्यक्ष, छतरपुर एवं पन्ना ने 5479.629 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई थी। इस गैर वन भूमि का सत्यापन पन्ना टाईगर रिजर्व के अमले से करवाने पर 3414.757 हेक्टेयर गैर वनभूमि ही पन्ना टाईगर रिजर्व द्वारा मान्य की गई। इस कारण जिलाध्यक्ष, छतरपुर द्वारा आवंटित तथा वन विभाग द्वारा मान्य की गई गैर वनभूमि के आंकड़ों में भिन्नता है।
v	In view of condition no. 3, the total forest area proposed for diversion is 6017.00 ha and it has been intimated that the transfer and mutation of only 3793.609 ha non forest land has been done. The record of transfer and mutation for the entire 6017.00 ha area along with village wise abstract shall be submitted. The revised CA scheme approved by the competent authority which includes the plantation of Anogeissus pendula with suitability certificate and shape file and relevant documents has also not been submitted.	प्रस्ताव में 3793.609 हेक्टेयर गैर वनभूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम से हुआ हैं। सत्यापन में इस 3793.609 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से 3414.757 हेक्टेयर गैर वनभूमि ही पन्ना टाईगर रिजर्व द्वारा मान्य की गई। अतः प्रकरण में अभी 3414.757 हेक्टेयर गैर वनभूमि ही उपलब्ध कराई गई है। शेष 2792.662 हेक्टेयर गैर वनभूमि के नामांतरण की कार्यवाही प्रचलित है। इस गैर वनभूमि का नामांतरण होते ही इसके संबंध में अभिलेख पृथक से प्रस्तुत किये जायेंगे।
vi	The State shall ensure that the non-forest land identified as above is on the western side of Panna Tiger Reserve. The KML files of the areas identified shall also be submitted for the verification of the same and for ensuring the suitability of the areas for CA.	इस शर्त के अनुसार ही गैर वनभूमि का चयन किया जा रहा है। शर्त के अनुसार 3414.757 हेक्टेयर गैर वनभूमि चिन्हित की जाकर इसका नामांतरण वन विभाग के नाम किया गया है। शेष 2792.662 हेक्टेयर गैर वनभूमि भी इस शर्त के अनुसार चिन्हित की गई है, जिसके नामांतरण की कार्यवाही प्रचलित है।

vii	In view of condition no. 5, the copy of undertaking from the user agency to bear the entire expense for relocation has not been submitted. Moreover the status of revenue land so secured through relocation and declaration of same as Reserve Forest /PF and handing over to the forest department has not been submitted. Also a list of villages to be relocated as per the committee consisting of the Field Director Panna National Park (Chairman), a representative of the Project proponent, a representative of the Regional office, Bhopal and a representative of NTCA has not been submitted.	इस शर्त के संबंध में वचन पत्र **परिशिष्ट–14** पर संलग्न है। इस शर्त के पालन में 3414.757 हेक्टेयर गैर वनभूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम किया गया है। शेष 2792.662 हेक्टेयर गैर वनभूमि के नामांतरण की कार्यवाही प्रचलित है। इस गैर वनभूमि का चयन समिति द्वारा किया गया है। समिति की अलग–अलग दिनांकों को आयोजित बैठक में लिये निर्णय का विवरण **परिशिष्ट–15** में संलग्न है।
viii	In view of condition no. 7, the User Agency has not transferred the cost of implementation of Catchment Area Treatment (CAT) Plan in CAMPA account through on-line portal.	जल ग्रहण क्षेत्र उपचार के लिये रू. 272.59 करोड़ की राशि जमा की गई है। जमा की गई राशि का विवरण एवं यू.टी.आर. क्रमांक का विवरण **परिशिष्ट–12** में संलग्न है।
ix	In view of condition no. 8, the User Agency has not transferred the total cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage in CAMPA account through on-line portal.	इस प्रस्ताव में अभी तक 3414.757 हेक्टेयर गैर वनभूमि चिन्हित की जाकर इसका नामांतरण वन विभाग के नाम किया गया है। शेष 2792.662 हेक्टेयर गैर वनभूमि भी इस शर्त के अनुसार चिन्हित की गई है, जिसके नामांतरण की कार्यवाही प्रचलित है। समस्त गैर वनभूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम न होने के कारण अभी अस्थायी रूप से क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये रू. 4.00 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू. 240.68 करोड़ की राशि कैम्पा मद में जमा कराई गई है, जिसका विवरण एवं यू.टी.आर. क्रमांक का विवरण **परिशिष्ट–12** में संलग्न है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वन्यप्राणी कक्ष द्वारा इस 6017 हेक्टेयर गैर वनभूमि पर चारागाह विकास के कार्य किये जाने का अभिमत दिया है। अतः प्रस्ताव में आवश्यक 60.17 लाख पौधें बिगड़े वनों में रोपित किये जायेंगे। इस हेतु 6123 हेक्टेयर बिगड़े वनों का चयन कर रोपण योजना तैयार की गई है। चयनित स्थलों की सूची तथा KML फाईल एवं रोपण हेतु आवश्यक राशि का विवरण परिशिष्ट–21 पर संलग्न है। वर्तमान में आवेदक संस्था से क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये रू. 240.68 करोड़ की राशि

		प्राप्त की गई है। रोपण हेतु आवश्यक कुल राशि रू. 252.97 करोड़ में से आवेदक संस्था द्वारा रू. 240.68 करोड़ की राशि पूर्व में ही जमा की जा चुकी है, शेष राशि शीघ्र ही जमा करा ली जायेगी।
x	In view of condition no. 9, the State Govt. reported that an amount of Rs. 3512.80 crore has been deposited for NPV. However as per online fund deposition details it shows an amount of Rs. 500,00,000/- has only been been deposited for NPV.	इस प्रस्ताव में परिवेश पोर्टल के माध्यम से रू. 5.00 करोड़ की राशि जमा की गई है। शेष समस्त राशियां मध्यप्रदेश कैम्पा के खाते में सीधा जमा की गई है, जिसका विवरण एवं यू.टी.आर. क्रमांक का विवरण **परिशिष्ट**–12 में संलग्न है।
xi	In view of condition no. 16, the copy of study report of WII along with the order of Government of Madhya Pradesh regarding creation of said council has not been submitted.	इस शर्त के पालन में भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून द्वारा लेण्डस्केप मेनेजमेंट प्लान तैयार कर लिया गया है। इस लैण्डस्केप मेनेजमेंट प्लान का अनुमोदन दिनांक 05.09.2023 को ग्रेटर पन्ना लैण्डस्केप काउंसिल द्वारा कर दिया गया है। अनुमोदन की प्रति **परिशिष्ट–16** में संलग्न है। यह लैण्डस्केप मेनेजमेंट प्लान लगभग 1200 पन्नों का है। अतः इसे संलग्न कर नहीं भेजा जा रहा है। इस लैण्डस्केप मेनेजमेंट प्लान को https://drive.google.com/drive/folders/1omVpWK-A9dBRwCVLDjlca-7ve9S0E8CW?usp=sharing पर देखा जा सकता है।
xii	In view of condition no. 18, the copy of action Plan for conservation of Vultures in affected area of PTR prepared by BNHS and the program for species Recovery Program for Gharial in the landscape prepared by the Wildlife Institute of India along with the cost of its implementation from the user agency has not been submitted.	इस शर्त के पालन में लेख है कि भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून द्वारा जो लैण्डस्केप मेनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है उसमें गिद्ध एवं घड़ियाल संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य सम्मिलित है। गिद्ध एवं घड़ियाल संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्यों के लिये इस प्लान में क्रमशः रू. 354 करोड़ एवं रू. 236 करोड़ प्रावधानित किये गये हैं। इस प्लान भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून द्वारा एन.टी.सी.ए. के मार्गदर्शन एवं अन्य संबंधित विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से तैयार किया गया है।
xiii	In view of condition no. 19, the State Government has not submitted the details of the team constituted involving State Forest Department, National Tiger Conservation Authority, Wildlife Institute of India and the project proponent including NWDA constituted.	राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 04.09.2023 से समिति का गठन किया है। राज्य शासन के आदेश की प्रति **परिशिष्ट**–17 में संलग्न है।

<table>
<tr><td>xiv</td><td>In view of condition no. 20, the records showing 5% of the project cost corresponding to the project area falling inside the Protected Areas paid by the user agency for the development of the concerned National Park/ Wildlife Sanctuary has not been submitted. The justification for not depositing the same into CAMPA account shall also be submitted.</td><td>इस शर्त के पालन में रू. 221.73 करोड़ की राशि मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश को भुगतान की गई है।

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक 8183 दिनांक 15.09.2023 से यह अवगत कराया है कि यह राशि मध्यप्रदेश कैम्पा के खाता क्रमांक 520101263743590 में दिनांक 15.09.2023 को जमा करा दी गई है। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 8183 दिनांक 15.09.2023 की प्रतिलिपि परिशिष्ट–22 में संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>xv</td><td>In view of condition no. 21, the State Govt. has not submitted the details of fresh enumeration for entire project area by increasing the sampling intensity.</td><td>इस प्रस्ताव में 6017 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। इस पूर्ण वनक्षेत्र में वृक्षों की गणना करने पर काफी समय लगेगा, साथ ही इसमें काफी अधिक व्यय होगा।

अतः कार्य आयोजना तैयार करने के लिये राष्ट्रीय वर्किंग कोड 2022 में जिस प्रकार सेम्पल प्लाट लेकर गणना की जाती है, उसी अनुरूप इस परियोजना में प्रभावित वनक्षेत्र में 30 सेकण्ड के अंतराल पर सेम्पल प्लाट डालकर वृक्षों की गणना की गई है।

प्रभावित वनक्षेत्र का DSS Analysis करने पर प्रभावित वनक्षेत्र का घनत्व निम्नानुसार पाया गयाः–

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>वर्ग</th><th>प्रतिशत रकबा (%)</th><th>अनुमानित प्रति हेक्टेयर वृक्षों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>VDF</td><td>17.80</td><td>86.55</td></tr>
<tr><td>2</td><td>MDF</td><td>14.91</td><td>35.11</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Open Forest</td><td>11.73</td><td>0.18</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Scrub</td><td>0.31</td><td>0.21</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Non-Forest</td><td>42.29</td><td>0</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Water</td><td>12.97</td><td>2.69</td></tr>
<tr><td></td><td>Total-</td><td>100</td><td>157.22</td></tr>
</table>

इस प्रकार आवेदित वन भूमि पर अनुमानित 157.22 वृक्ष प्रति हेक्टेयर मौजूद है। इस अनुसार प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि 6017 हेक्टेयर में अनुमानित 945992 वृक्ष है।

प्रस्ताव में आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि इस प्रस्ताव में FRL level पर</td></tr>
</table>

		5761 हेक्टेयर वन भूमि, FRL-2 level पर 5258 हेक्टेयर वन भूमि, FRL-4 level पर 5051 हेक्टेयर वन भूमि तथा FRL-10 level पर 4561 हेक्टेयर वन भूमि डूब में आ रही है। इस अनुसार FRL level पर 9.46 लाख, FRL-2 level पर 8.67 लाख, FRL-4 level पर 8.34 लाख तथा FRL-10 level पर 7.57 लाख वृक्ष होना अनुमानित है।
xvi	in view of the condition 23(i) of the Stage-1 approval, the State has just submitted the approval of the Central Govt, whereas the copy of the notification declaring Nauradehi wildlife Sanctuary and Rani Durgawati Wildlife Sanctuary as Tiger Reserves has not been submitted.	इस शर्त के अनुसार नौरादेही अभ्यारण्य एवं दुर्गावती अभ्यारण्य को टाईगर रिजर्व घोषित करने की कार्यवाही लगभग पूर्णतः की ओर है। इस संबंध में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस संबंध में राजपत्र में प्रकाशन शीघ्र सम्भावित है।
xvii	In view of condition no. 23 (iii), the copy of notification of areas of south Panna and Chhatarpur Divisions as buffer of the Panna Tiger Reserve and mentioning that the said area is brought under unified control of the Field Director Panna has not been submitted.	छतरपुर, पन्ना तथा दमोह जिलों के वनक्षेत्रों को पूर्व में ही पन्ना टाईगर रिजर्व में बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर इसे पन्ना टाईगर रिजर्व के प्रबंधन में दिया जा चुका है। इस संबंध में जानकारी परिशिष्ट–23 पर संलग्न है।
xviii	In view of condition no. 23 (a), the State Govt. has not submitted the copy of approval from NTCA under Section-38 of the Wildlife (Protection) Act 1972.	इस शर्त के संबंध में लेख है कि इस परियोजना में प्रभावित वनभूमि की वन्यप्राणी अनुमति हेतु प्रस्ताव राज्य वन्यप्राणी बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत नेशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफ को प्रेषित किया गया था। इस प्रस्ताव में NTCA द्वारा पत्र दिनांक 22.08.2016 से कुछ शर्त अधिरोपित करने का लेख किया था, जिसे सम्मिलित करते हुये NBWL द्वारा स्वीकृति जारी की गई है। NTCA द्वारा जिन शर्तों को अपनी अनुशंसाओं में सम्मिलित किया गया था, उसे NBWL द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.05.2017 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में सम्मिलित किया गया है। अतः प्रकरण में NTCA से अनुशंसाऐं पूर्व से ही प्राप्त है। NTCA के पत्र दिनांक 22.08.2016 की प्रति परिशिष्ट–24 में संलग्न है।
xix	In view of condition no. 24, the copy of approved Rehabilitation and Resettlement (R&R) plan of the project along with the undertaking from the user agency has not submitted.	इस शर्त के संबंध में लेख है कि इस परियोजना से प्रभावित परिवारों के विस्थापन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक विशेष पैकेज स्वीकृत किया है, जिसकी प्रति **परिशिष्ट–18** पर संलग्न है।

		इस स्वीकृत विशेष पैकेज के अनुसार ही प्रस्ताव में विस्थापित होने वाले प्रभावित परिवारों का विस्थापन किया जायेगा।
xx	In view of condition no. 43, a plan for conservation of wildlife in consultation with the CCF (Wildlife) along with the cost of its implementation has not been submitted by the user agency.	इस शर्त के पालन के संबंध में लेख है कि भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून द्वारा जो लैण्डस्केप मेनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है, उसमें मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के 11 जिलों का लगभग 55000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र सम्मिलित है। इस लैण्डस्केप मेनेजमेंट प्लान में वन्यप्राणी के संरक्षण के लिये रू. 1416 करोड़ का प्रावधान है। यह कार्य परियोजना प्रारम्भ होने पर आवेदक संस्था के व्यय पर किये जायेंगे।
xxi	In view of condition no. 44, the FRA Certificate has been submitted for an area of 5258 ha only (4279 ha for Chhatarpur District and 979 ha for Panna District) instead of proposed diversion of 6017.00 ha forest land.	प्रस्ताव में प्रभावित 6017 हेक्टेयर का वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र **परिशिष्ट–19** में संलग्न है।
xxii	The Cost-Benefit analysis has to be submitted taking into account the parameters and format prescribed in the Handbook of guidelines.	प्रस्ताव में संशोधित Cost-Benefit analysis **परिशिष्ट–20** में संलग्न है।

आवेदक संस्था को इस प्रस्ताव में 65.50 हेक्टेयर रकबे में कार्य करने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध है। अतः प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

17.09.23

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 50 / 2015 / 10–11 / 5 / 4170 भोपाल, दिनांक 17/09/23

प्रतिलिपिः–

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) शिवपुरी / छतरपुर वृत्त, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, जिला पन्ना।
5. वनमंडलाधिकारी, (सा0) वनमंडल शिवपुरी / छतरपुर, मध्यप्रदेश।
6. अधिशासी अभियंता, केबीएलपीए, जल संसाधन जल विकास और गंगा संरक्षण विभाग, सहयोग परिसर, ई–8, शाहपुरा भोपाल।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

17.09.23

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भारत सरकार
Government of India
जल शक्ति मंत्रालय
Ministry of Jal Shakti
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
Department of WR, RD & GR

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण
Ken Betwa Link Project Authority

संख्या–के.बे.लि.प.प/भोपाल/अप्र/49 1876
No. – KBLPA/BPL/ID/

दिनांकः– 15/09/2023
Date:-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध)
वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल।

विषयः–केन–बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017 हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी।

संदर्भ :– भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 16.08.2023

––0––

उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से 22 बिन्दुओं पर जानकारी चाही है। भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

Sl. No	Observation of MoEF&CC vide letter dt.16.08.2023	Compliances by KBLPA
1	The User agency has not submitted the undertaking regarding condition No.1,13,22 and 23(ii),(iv), (v) (vi), (vii), (viii),(ix),(x)	इस प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त क्रमांक–1, 13, 22, 23 (ii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x) के संबंध में वचन पत्र **परिशिष्ट–1 से 11** में संलग्न है।
2	ii. The State has mentioned about the payment of various dues and compensatory levies, however as per PARIVESH portal an amount of Rs 500, 00,000/- has only been deposited so far.	इस परियोजना में सर्वप्रथम रू. 5.00 करोड़ की राशि परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जमा कराई गई है। तत्पश्चात इस परियोजना में जो भी राशियों का भुगतान किया जाना था, उसके लिये मांग पत्र को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया। नोडल अधिकारी द्वारा मांग पत्र अनुमोदित करने के बाद भुगतान हेतु चालान जनरेट किया गया। यह भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भारत कोष से किया जाना था। भारत कोष से Virtual खातों में भुगतान नहीं होता है। इस कारण भारत कोष से इस प्रस्ताव में परिवेश पोर्टल के माध्यम से जनरेट किये गये चालान का भुगतान नहीं हो पा रहा था। अतः नोडल अधिकारी मध्यप्रदेश से कैम्पा मद का खाता क्रमांक प्राप्त कर शेष सभी भुगतान मध्यप्रदेश कैम्पा के खाता क्रमांक 520101263743590 में किये गये हैं।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अन्वेषण प्रभाग, के.बे.लि.प.प.
पता - ए-3, सहयोग परिसर, ई-8, शाहपुरा, भोपाल-462039 (म.प्र.)
दूरभाष: 0755-2566818 फैक्स: 0755-2566818
ईमेलः eeidbpl-nwda@nic.in
वेबसाइट: www.nwda.gov.in

Office of the Executive Engineer, Investigation Division, KBLPA,
Add.- A-3, Sahyog Parisar, E-8, Shahpura, Bhopal-462039 (M.P.)
Phone : 0755-2566818, Fax: 0755-2566818
Email: eeidbpl-nwda@nic.in
Website: www.nwda.gov.in

		इस परियोजना में किये गये सभी भुगतानों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में **परिशिष्ट–12** में संलग्न है। इन किये गये भुगतानों की पुष्टि नेशनल कैम्पा से करवाये जाने का अनुरोध है।
3	iii. In view of condition of no.2, the State government and User agency has not submitted the details of total 6017.00 ha revenue area which is to be added to Panna Tiger Reserve and shall be declared as Reserve Forest/ Protected Forest and brought under administrative control of Forest department.	इस शर्त के अनुसार पन्ना टाईगर रिजर्व में 6017 हेक्टेयर गैर वनभूमि जोड़ी जानी है। इस आवश्यक 6017 हेक्टेयर के विरूद्ध 6212.516 हेक्टेयर गैर वनभूमि चिन्हांकित कर ली गई है। इस 6212.516 हेक्टेयर गैर वनभूमि की KML फाईल तथा ग्रामवार विवरण परिशिष्ट–13 में संलग्न है। इस चिन्हित 6212.516 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से 3414.757 हेक्टेयर वनभूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम किया जा चुका है। नामांतरण के संबंध में अभिलेख प्रस्ताव के भाग–2 में अपलोड है। शेष 2797.759 हेक्टेयर गैर वनभूमि के नामांतरण की कार्यवाही प्रचलित है। इस गैर वनभूमि का नामांतरण होते ही इसके संबंध में अभिलेख पृथक से प्रस्तुत किये जायेंगे।
4	iv. The State has submitted an abstract prepared by the Collector Chhatarpur, indicating that out of 2391.517 ha area proposed for handing over to forest department, only 1916.289 ha has been found suitable. Revenue papers have been submitted for some other areas, however the total extent / abstract of suitable land in case of other villages has not been submitted. The State shall submit a village wise abstract for the entire area proposed and found suitable.	इस प्रस्ताव में जिलाध्यक्ष, छतरपुर एवं पन्ना ने 5479.629 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई थी। इस गैर वन भूमि का सत्यापन पन्ना टाईगर रिजर्व के अमले से करवाने पर 3414.757 हेक्टेयर गैर वनभूमि ही पन्ना टाईगर रिजर्व द्वारा मान्य की गई। इस कारण जिलाध्यक्ष, छतरपुर द्वारा आवंटित तथा वन विभाग द्वारा मान्य की गई गैर वनभूमि के आंकड़ों में भिन्नता है।
5	v. In view of condition no.3, the total forest area proposed for diversion is 6017.00 ha and it has been intimated that the transfer and mutation of only 3793.609 ha non forest land has been done. The record of transfer and mutation for the entire 6017 ha area along with village wise abstract shall be submitted. The revised CA scheme approved by the competent authority which includes the plantation of Anogeissuspendula with suitability certificate and shape file and relevant documents has also not been submitted.	प्रस्ताव में 3793.609 हेक्टेयर गैर वनभूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम से हुआ हैं। सत्यापन में इस 3793.609 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से 3414.757 हेक्टेयर गैर वनभूमि ही पन्ना टाईगर रिजर्व द्वारा मान्य की गई। अतः प्रकरण में अभी 3414.757 हेक्टेयर गैर वनभूमि ही उपलब्ध कराई गई है। शेष 2797.759 हेक्टेयर गैर वनभूमि के नामांतरण की कार्यवाही प्रचलित है। इस गैर वनभूमि का नामांतरण होते ही इसके संबंध में अभिलेख पृथक से प्रस्तुत किये जायेंगे।

6	vi. The State shall ensure that the non- forest land identified as above is on the western side of Panna Tiger reserve. The KML files of the areas identified shall also be submitted for the verification of the same and for ensuring the suitability of the area for CA	इस शर्त के अनुसार ही गैर वनभूमि का चयन किया जा रहा है। शर्त के अनुसार 3414.757 हेक्टेयर गैर वनभूमि चिन्हित की जाकर इसका नामांतरण वन विभाग के नाम किया गया है। शेष 2797.759 हेक्टेयर गैर वनभूमि भी इस शर्त के अनुसार चिन्हित की गई है, जिसके नामांतरण की कार्यवाही प्रचलित है।
7	vii. In view of condition no.5, the copy of undertaking from the user agency to bear the entire expense for relocation has not been submitted. Moreover the status of revenue land so secured through relocation and declaration of same as Reserve Forest /PF and handing over to the forest department has not been submitted. Also a list of villages to be relocated as per the committee consisting of the Field Director Panna National Park (Chairman), a representative of the project proponent, a representative of the Regional office, Bhopal and representative of NTCA has not been submitted.	इस शर्त के संबंध में वचन पत्र **परिशिष्ट–14** पर संलग्न है। इस शर्त के पालन में 3414.757 हेक्टेयर गैर वनभूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम किया गया है। शेष 2797.759 हेक्टेयर गैर वनभूमि के नामांतरण की कार्यवाही प्रचलित है। इस गैर वनभूमि का चयन समिति द्वारा किया गया है। समिति की अलग–अलग दिनांकों को आयोजित बैठक में लिये निर्णय का विवरण **परिशिष्ट–15** में संलग्न है।
8	viii. . In view of condition no.7, the User Agency has not transferred the cost of implementation of Catchment Area Treatment (CAT) Plan in CAMPA account through on-line portal.	जल ग्रहण क्षेत्र उपचार के लिये रू. 272.59 करोड़ की राशि जमा की गई है। जमा की गई राशि का विवरण एवं यू.टी.आर. क्रमांक परिशिष्ट–12 में संलग्न है।
9	ix. In view of condition no.8, the User Agency has not transferred the total cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage in CAMPA account through on-line portal.	इस प्रस्ताव में अभी तक 3414.757 हेक्टेयर गैर वनभूमि चिन्हित की जाकर इसका नामांतरण वन विभाग के नाम किया गया है। शेष 2797.759 हेक्टेयर गैर वनभूमि भी इस शर्त के अनुसार चिन्हित की गई है, जिसके नामांतरण की कार्यवाही प्रचलित है। समस्त गैर वनभूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम न होने के कारण अभी अस्थायी रूप से क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये रू. 4.00 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू. 240.68 करोड़ की राशि कैम्पा मद में जमा कराई गई है, जिसका विवरण एवं यू.टी.आर. क्रमांक **परिशिष्ट–12** में संलग्न है।
10	x. In view of condition no.9, the State Govt. reported that an amount of Rs. 3512.80 crore has been deposited for NPV. However as per online fund deposition details it shows an amount of Rs.500,00,000/- has only been been deposited for NPV	इस प्रस्ताव में परिवेश पोर्टल के माध्यम से रू. 5.00 करोड़ की राशि जमा की गई है। शेष समस्त राशियां मध्यप्रदेश कैम्पा के खाते में सीधा जमा की गई है, जिसका विवरण एवं यू.टी.आर. क्रमांक **परिशिष्ट–12** में संलग्न है।

11	xi. In view of condition no.16 the copy of study report of WII along with the order of Government of Madhya Pradesh regarding creation of said council has not been submitted.	इस शर्त के पालन में भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून द्वारा लेण्डस्केप मेनेजमेंट प्लान तैयार कर लिया गया है। इस लैण्डस्केप मेनेजमेंट प्लान का अनुमोदन दिनांक 05.09.2023 को ग्रेटर पन्ना लैण्डस्केप काउंसिल द्वारा कर दिया गया है। यह लैण्डस्केप मेनेजमेंट प्लान लगभग 1200 पन्नों का है। अतः इसे संलग्न कर नहीं भेजा जा रहा है। इस लैण्डस्केप मेनेजमेंट प्लान को https://drive.google.com/drive/folders/1omVpWK-A9dBRwCVLDjlca-7ve9S0E8CW?usp=sharing पर देखा जा सकता है। ग्रेटर पन्ना लैण्डस्केप काउंसिल **गठन का पत्र परिशिष्ट–16** में संलग्न है।
12	xii. In view of condition no. 18, the copy of action Plan for conservation of Vultures in affected area of PTR prepared by BNHS and the program for species Recovery program for Gharial in the landscape prepared by the Wildlife Institute of India along with the cost of its implementation from the user agency has not been submitted.	इस शर्त के पालन में लेख है कि भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून द्वारा जो लैण्डस्केप मेनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है उसमें गिद्ध एवं घड़ियाल संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य सम्मिलित है। गिद्ध एवं घड़ियाल संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्यों के लिये इस प्लान में क्रमशः रू. 354 करोड़ एवं रू. 236 करोड़ प्रावधानित किये गये हैं। यह प्लान भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून द्वारा एन.टी.सी.ए. के मार्गदर्शन एवं अन्य संबंधित विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से तैयार किया गया है।
13	xiii. In view of condition no.19, the state Government has submitted the details of the team constituted involving State Forest Department, National Tiger Conservation Authority, Wildlife Institute of India and the project proponent including NWDA constituted.	राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 04.09.2023 से समिति का गठन किया है। राज्य शासन के आदेश की प्रति **परिशिष्ट–17** में संलग्न है।
14	Xiv, In view of condition no.20, the records showing 5% of the project cost corresponding to the project area falling inside the Protected Areas paid by the user agency for the development of the concerned National Park/ Wildlife Sanctuary has not been submitted. The justification for not depositing the same into CAMPA account shall also be submitted.	इस शर्त के पालन में रू. 221.73 करोड़ की राशि मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश को भुगतान की गई है। यह राशि कैम्पा मद में जमा करने की कार्यवाही मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा की जाना है।

15	xv. In view of condition no.21, the State Govt. has not submitted the details of fresh enumeration for entire project area by increasing the sampling intensity.	यह कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जाना है। इस प्रस्ताव में FRL level पर 5761 हेक्टेयर वन भूमि, FRL-2 level पर 5258 हेक्टेयर वन भूमि,FRL-4 level पर 5051 हेक्टेयर वन भूमि तथा FRL-10 level पर 4561 हेक्टेयर वन भूमि डूब में आ रही है।
16	xvi. In view of the condition 23 (i) of the Stage-1 approval, the State has just submitted the approval of the Central Govt, whereas the copy of the notification declaring Nauradehi wildlife Sanctuary and Rani Durgawati Wildlife Sanctuary as Tiger Reserves has not been submitted.	इस शर्त के अनुसार नौरादेही अभ्यारण्य एवं दुर्गावती अभ्यारण्य को टाईगर रिजर्व घोषित करने की कार्यवाही लगभग पूर्णतः की ओर है। इस संबंध में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस संबंध में राजपत्र में प्रकाशन शीघ्र सम्भावित है।
17	xvii. In view of condition no. 23 (iii), the copy of notification of areas of south Panna and Chhatarpur Divisions as buffer of the Panna Tiger Reserve and mentioning that the said area is brought under unified control of the Field Director Panna has not been submitted.	इस शर्त का संबंध वन विभाग से हैं।
18	xviii. In view of condition no. 23 (a), the State Govt. has not submitted the copy of approval from NTCA under Section-38 of the Wildlife (Protection) Act 1972.	इस शर्त का संबंध वन विभाग से हैं।
19	xix. In view of condition no. 24, the copy of approved Rehabilitation and Resettlement (R&R) plan of the project along with the undertaking from the user agency has not submitted.	इस शर्त के संबंध में लेख है कि इस परियोजना से प्रभावित परिवारों के विस्थापन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक विशेष पैकेज स्वीकृत किया है, जिसकी प्रति **परिशिष्ट–18** पर संलग्न है। इस स्वीकृत विशेष पैकेज के अनुसार ही प्रस्ताव में विस्थापित होने वाले प्रभावित परिवारों का विस्थापन किया जायेगा।
20	xx. In view of condition no.43, a plan for conservation of wildlife in consultation with the CCF (Wildlife) along with the cost of its implementation has not been submitted by the user agency.	इस शर्त के पालन के संबंध में लेख है कि भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून द्वारा जो लैण्डस्केप मेनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है, उसमें मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के 11 जिलों का लगभग 55000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र सम्मिलित है। इस लैण्डस्केप मेनेजमेंट प्लान में वन्यप्राणी के संरक्षण के लिये रू. 1416 करोड़ का प्रावधान है। यह कार्य परियोजना प्रारम्भ होने पर आवेदक संस्था के व्यय पर किये जायेंगे।

21	xxi. In view of condition no. 44 the FRA Certificate has been submitted for an area of 5258 ha only (4279 ha for Chhatarpur District and 979 ha for Panna District) instead of proposed diversion of 6017.00 ha forest land.	प्रस्ताव में प्रभावित 6017 हेक्टेयर का वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र **परिशिष्ट–19** में संलग्न है।
22	xxii. The Cost -Benefit analysis has to be submitted taking into account the parameters and format prescribed in the Handbook of guidelines.	प्रस्ताव में संशोधित Cost -Benefit analysis **परिशिष्ट–20** में संलग्न है।

प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब उपरोक्तानुसार है।

यह परियोजना एक अत्यन्त महत्वर्पूण परियोजना है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई सम्भव हो सकेगी। साथ ही इन प्रदेशों की लगभग 62 लाख जनसंख्या को पेयजल भी उपलब्ध होगा।

प्रकरण में कुछ कार्यवाहियां प्रचलित है। इस परियोजना में बांध एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों के अभी तत्कालिक रूप से 65.5 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है। शेष वनभूमि का उपयोग औपचारिक स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। अतः अनुरोध है कि प्रकरण में 65.5 हेक्टेयर वनभूमि के उपयोग की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करने का अनुरोध है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार। दो सेट

अधिशासी अभियंता
केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण
भोपाल

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट-1

Condition no-1 (MOEF&CC letter no-F. No 8-49/2016- FC dated 25th May, 2017)

"Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;"

The Ken- Betwa Link Project Authority, Bhopal undertake to comply with the condition as mentioned above in the said MOEF&CC letter dated 25th May, 2017

RRathor
15/9/2023

Executive Engineer
Ken-Betwa Link Project Authority
Bhopal

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट -2

Condition no-13 (MOEF&CC letter no-F. No 8-49/2016- FC dated 25th May, 2017)

"The State Govt. and the user agency shall ensure that the proposed Powerhouse, which have the capacity of 78 MW, shall not be constructed in the forest area to be diverted to avoid constant disturbance in the PTR;"

The Ken- Betwa Link Project Authority, Bhopal undertake to comply with the condition as mentioned above in the said MOEF&CC letter dated 25th May, 2017

R Rathor
15/9/2023

Executive Engineer
Ken-Betwa Link Project Authority
Bhopal

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट -3

Condition no-22 (MOEF&CC letter no-F. No 8-49/2016- FC dated 25th May, 2017)

"There will not be any tree felling done above tree line up to FRL minus 10 Mts. Tree felling below 10 meter from FRL shall not be carried out before ascertaining that these trees are actually getting submerged for considerably long period and eventually die. It is only after actually attaining FRL that the decision to fell trees above FRL minus 10 shall be taken by the forest department;"

The Ken- Betwa Link Project Authority, Bhopal undertake to comply with the condition as mentioned above in the said MOEF&CC letter dated 25th May, 2017

RRathor
15/9/2023

Executive Engineer
Ken-Betwa Link Project Authority
Bhopal

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट -4

Condition no-23(ii) (MOEF&CC letter no-F. No 8-49/2016- FC dated 25th May, 2017)

"Critical areas in buffer of the Panna Tiger Reserve, which facilitate tiger dispersal to the west and south, shall be taken into the core/critical tiger habitat. Necessary funding support to voluntarily rehabilitate people from these areas shall be borne by the user agency."

The Ken- Betwa Link Project Authority, Bhopal undertake to comply with the condition as mentioned above in the said MOEF&CC letter dated 25th May, 2017

R Rathor
15/9/2023

Executive Engineer
Ken-Betwa Link Project Authority
Bhopal

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट -5

Condition no-23(IV) (MOEF&CC letter no-F. No 8-49/2016- FC dated 25th May, 2017)

"The aforesaid Landscape Management Plan (LMP) shall be prepared by the NTCA and WII with complete funding support by the user agency in three years. Phase-I of the same shall focus on delineation of connecting with stake holders and shall be completed within a year of commencement of LMP preparation work. No construction activity shall commence prior to delineation of these areas at the micro level. Strategies and management interventions for these delineated areas shall be proposed and implemented subsequently."

The Ken- Betwa Link Project Authority, Bhopal undertake to comply with the condition as mentioned above in the said MOEF&CC letter dated 25th May, 2017

R Rathor 15/9/2023

Executive Engineer
Ken-Betwa Link Project Authority
Bhopal

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट -6

Condition no-23(v) (MOEF&CC letter no-F. No 8-49/2016- FC dated 25th May, 2017)

"The LMP shall inter alia, also focus on a vulture recovery program in consultation with domain experts as per a dynamic scenario based on effect of construction of the works and water levels on nesting behavior;"

The Ken- Betwa Link Project Authority, Bhopal undertake to comply with the condition as mentioned above in the said MOEF&CC letter dated 25th May, 2017

R Rathor
15/9/2023

Executive Engineer
Ken-Betwa Link Project Authority
Bhopal

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट -7

Condition no-23(vi) (MOEF&CC letter no-F. No 8-49/2016- FC dated 25th May, 2017)

"The LMP shall be made part of the adjoining area plan/corridor plan of the Tiger Conservation Plan (TCP) of the Panna Tiger Reserve which shall categorically propose a tripartite Memorandum of Understanding between the State, Ministry controlling the User Agency (Ministry of Water Resources) and the NTCA ensuring reciprocal commitments by each party to safeguard the landscape. The contents of the MoU shall be worked by mutual consultation between the parties. However, the Panna Tiger Reserve Management need not wait for the LMP to be completed to furnish the TCP, as the LMP shall be incorporated as part subsequently by the NTCA as per Section 38 (0)(1)(a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972."

The Ken- Betwa Link Project Authority, Bhopal undertake to comply with the condition as mentioned above in the said MOEF&CC letter dated 25th May, 2017

K Rathor 15/9/2023

Executive Engineer
Ken-Betwa Link Project Authority
Bhopal

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट -8

Condition no-23(vii) (MOEF&CC letter no-F. No 8-49/2016- FC dated 25th May, 2017)

"At Gherighat region in the Panna Tiger Reserve, an early warning system shall be installed by the user agency to predict water levels so as to maintain connectivity with the west of the tiger reserve. if required, structural intervention camouflaged to mimic nature shall be constructed at cost of the user agency to maintain tiger dispersal to the west."

The Ken- Betwa Link Project Authority, Bhopal undertake to comply with the condition as mentioned above in the said MOEF&CC letter dated 25th May, 2017

R Rathor
15/9/2023

Executive Engineer
Ken-Betwa Link Project Authority
Bhopal

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट -9

Condition no-23(viii) (MOEF&CC letter no-F. No 8-49/2016- FC dated 25th May, 2017)

"Along the canal alignment, structural interventions shall be carried out at wildlife cross over points, which are duly camouflaged and mimic nature, at cost to the user agency, so that dispersal is not hindered."

The Ken- Betwa Link Project Authority, Bhopal undertake to comply with the condition as mentioned above in the said MOEF&CC letter dated 25th May, 2017

K Rathor
15/9/2023

Executive Engineer
Ken-Betwa Link Project Authority
Bhopal

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट -10

Condition no-23(ix) (MOEF&CC letter no-F. No 8-49/2016- FC dated 25th May, 2017)

"At the end of ramification of the submergence water level, suitable water retention structures like dykes, shall be created by the user agency which can hold water during pinch periods for wildlife after the water has receded;"

The Ken- Betwa Link Project Authority, Bhopal undertake to comply with the condition as mentioned above in the said MOEF&CC letter dated 25th May, 2017

R Rathor 15/9/2023

Executive Engineer
Ken-Betwa Link Project Authority
Bhopal

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट -11

Condition no-23(x) (MOEF&CC letter no-F. No 8-49/2016- FC dated 25th May, 2017)

"As the mitigation strategy envisaged involves operationalizing a landscape approach to tiger conservation, no new mining areas shall be proposed in the delineated corridor areas as well as those wherein tiger dispersal movement has been historically recorded. Further, extending of existing mining leaded shall not be carried out until it is concretely justified that project is in public interest and following due process of law;"

The Ken- Betwa Link Project Authority, Bhopal undertake to comply with the condition as mentioned above in the said MOEF&CC letter dated 25th May, 2017

R Rathor
15/9/2023

Executive Engineer
Ken-Betwa Link Project Authority
Bhopal

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट - 12

Annexure 12

PROFORMA FOR VERIFICATION OF DEPOSITS IN COMPENSATORY AFFORESTATION FUND

01.	Name of Regional Office	MOEF&CC Bhopal
02.	State /District/Forest Division to which the proposal relates	Madhya Pradesh/Chhatarpur- Panna- Tikamgarh, Niwari /Panna National Park(Panna), Chhatarpur- Tikamgarh, Niwari
03.	Name of User Agency, nature of proposal	National Water Developement Agency/Ken-Betwa Link Project Authority, Irrigation
04.	Nature and category of proposal	Irrigation
05.	Proposal Number	FP/MP/IRRIG/16372/2015
06.	Extent of Forest area involved	6017 ha
07.	Whether original or extension	original
08.	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so, specify	-
09.	Date of 1st Stage Clearance	25.05.2017
10.	Extent of CAMPA charges, head wise viz;	
	(a)Compensatory Afforestation	Rs 240.68/ crore
	(b)Additional Compensatory Afforestation	
	(c) Penal Compensatory Afforestation	
	(d)Catchment Area Treatment	Rs 272.59/ crore
	(e)Wildlife Management Plan	Rs 221.7328/ crore
	(f)Additional charges for diversion of area falling under notified /protected areas	
	(g)Net Present Value	Rs 3512.80/ crore
	(h)Any other charges/levies (please specify)	
	Total	**Rs 4247.80 /crore**
	Tree Cutting	
	Total Amount	**Rs 4247.8028 /crore**
11.	Whether payment made through challan, details of Challan or otherwise in case of online payment	
12.	Details of Deposits:	

Sr. No.	Type of deposit [NPV/CA/ IWMP/Others (specify)]	Whether by RTGS/DD/ NEFT (specify)	UTR / DD No.	Amount deposited (Rs.)	Date of deposit	Name of Bank which amount transferred to account of CAF	Bank Account of CAF managed by CAMPA in which fund deposi-ted
	Compensatory Afforestation	PFMS	RBI 1822224545878	2406800000.00	30.06.2022	RBI	
	Catchment Area Treatment/ Soil Conservation Plan :	PFMS	RBI0902284417100 RBI 1822224545878	1185000000.00 1540900000.00	30.03.2022 30.06.2022	RBI	
	Wildlife Management Plan	PFMS	RBI0462397256133	2217328000.00	14.02.2023	RBI	Amount paid to CWLW. This amount is to be

							transferred to CAMPA account by CWLW
	Net present Value	PFMS	RTGS/NEFT	50000000.00	06.12.2021	RBI	CAMPA MP 5716372976
			RBI0812269530029	4500000000.00	21.03.2023		
			RBI0812269570334	4700000000.00	21.03.2023		
			RBI0812269570680	4860000000.00	21.03.2023		
			RBI0812269570141	4800000000.00	21.03.2023		
			RBI0812269570683	4750000000.00	21.03.2023		
			RBI0812269570134	4600000000.00	21.03.2023		
			RBI0812269570717	4608400000.00	21.03.2023		
			RBI0902284143866	2259600000.00	30.03.2022		
Total Amount				**42478028000.00**			

Date:
Place:

Signature of I/C, Regional Office
/Nodal Officer of the State

परिशिष्ट-13

KEN BETWA LINK PROJECT AUTHORITY, BHOPAL

Abstract of proposed village wise area against forest area affected under Ken- Betwa Link project Phase-I

Unit in-Ha

Sl. No.	Name of village	District	Tehsil	Revenue land in ha		Total
				Govt. land	Private land	
1	Katahri	Panna	Panna	18.150	163.730	181.880
2	Gahadara	Panna	Panna	131.837	187.870	319.707
3	Koni	Panna	Panna	814.931	58.500	873.431
4	Manjhauli	Panna	Panna	45.031	30.440	75.471
5	Dodi	Panna	Panna	0.0	44.560	44.560
6	Marha	Panna	Amanganj	350.126	111.240	461.366
7	Kuden	Panna	Amanganj	23.130	71.270	94.400
8	Khamri	Panna	Amanganj	163.704	49.250	212.954
9	Pathapur	Chhatarpur	Bijawar	44.200	103.435	147.635
10	Naiguwan	Chhatarpur	Bijawar	819.892	107.849	927.741
11	Dungariya	Chhatarpur	Bijawar	38.327	82.259	120.586
12	Kadwara	Chhatarpur	Bijawar	690.613	227.669	918.282
13	Kakra	Chhatarpur	Bijawar	80.256	60.607	140.863
14	Ghughari	Chhatarpur	Bijawar	100.098	0.0	100.098
15	Basudha	Chhatarpur	Bijawar	94.462	0.0	94.462
16	Larar	Panna	Panna	379.000	429.230	808.230
17	Kandwaha	Panna	Panna	1.770	31.070	32.840
18	Jardobha	Panna	Panna	59.460	598.550	658.010
	Total			**3854.987**	**2357.529**	**6212.516**

Rathor
15/9/23

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट -14

Condition no-5 (MOEF&CC letter no-F. No 8-49/2016- FC dated 25th May, 2017)

"The entire exercise for relocation of revenue villages shall be carried out by the revenue department with the help of the project authorities and that the entire expense for relocation shall be borne by the project. Further, the revenue land so secured through relocation shall be declared Reserve Forest /PF and handed over to the forest department.

A Committee consisting of the Field Director Panna National Park (Chairman), a representative of the Project proponent, a representative of the Regional office, Bhopal and a representative of NTCA shall approve such a list of villages to be relocated and forward it to MOEF&CC before the issue of final approval/ Stage-II Clearance under Section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980 is accorded by this Ministry. Until all the agreed to revenue villages are relocated no closure of dam gates and impounding of water shall be permitted;"

The Ken- Betwa Link Project Authority, Bhopal undertake to comply with the condition as mentioned above in the said MOEF&CC letter dated 25th May, 2017

R Rathor
15/9/2023

Executive Engineer
Ken-Betwa Link Project Authority
Bhopal

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट – 15

Annexure ~~16~~

Office of the Field Director

Panna Tiger Reserve

Panna, Madhya Pradesh, (India)

Phone No. +917732-252135 (O) Fax. +917732-252120

E-mail: fdptr82@gmail.com Website: www.pannatigerreserve.in

Govt of MadhyaPradesh

मध्य प्रदेश शासन

Panna Tiger Reserve

पन्ना टाइगर रिज़र्व

क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 2129 / पन्ना, दिनांक 07.11.2020

प्रति,

1. श्री हेमन्त भास्कर कामदी,
   असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल फारेस्ट एन०टी०सी०ए०
   रीजनल आफिस नागपुर (महाराष्ट्र)।
2. श्री बी० अभय भास्कर,
   उप वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केन्द्रीय पर्यावरण भवन क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र, लिंक रोड़ नम्बर 3, ई–5 रविशंकर नगर भोपाल (म०प्र०)
3. पी.सी. गुप्ता,
   अधिशासी अभियंता,
   राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, भोपाल म.प्र.

विषय :– पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक परियोजना फेस–1 के संबंध में सम्पन्न बैठक दिनांक 05.11.2020 का कार्यवाही विवरण।

—00—

उपरोक्त विषयांकित दिनांक 05.11.2020 को पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक परियोजना फेस–1 के संबंध अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में ऑनलाईन सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

(उत्तम कुमार शर्मा)
क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

पृष्ठां.क्रमांक / मा०चि० / 2020 / 2130 / पन्ना, दिनांक 07.11.2020

प्रतिलिपि – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

R Rathor
अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

...ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक परियो... म 1 के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 05.11.2020 का कार्यवा... विवरण

—00—

दिनांक 05.11.2020 को पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक परियोजना फेस–1 के संबंध श्री उत्तम कुमार शर्मा क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना की अध्यक्षता में ऑन लाईन बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित रहें –

1 श्री बी0 अभय भास्कर उप वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केन्द्रीय पर्यावरण भवन क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र, लिंक रोड नम्बर 3, ई–5 रविशंकर नगर भोपाल (म0प्र0)।

2 श्री हेमन्त भास्कर कामदी, असिस्टेंट इंस्पेस्टर जनरल फारेस्ट एन0टी0सी0ए0 रीजनल आफिस नागपुर (महाराष्ट्र)।

3 श्री पी0सी0 गुप्ता अधिशांसी अभियंता, राष्ट्रीय जल विकास, अभिकरण, भोपाल म0प्र0।

पूर्व में प्रस्तुत जानकारी अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत पन्ना टाइगर रिजर्व एवं अन्य वनक्षेत्र कुल 6017 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होना है। भारत सरकार द्वारा stage I की शर्तानुसार (क्र02) उक्त प्रभावित वनभूमि के एवज में इतनी ही मात्रा में राजस्व भूमि पन्ना टाईगर रिजर्व में जोड़ी जानी है। जिसके संबंध में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा चयनित पन्ना जिले के राजस्व ग्राम कटाहरी–बिल्हाटा, कोनी, मझौली, गहदरा, मरहा, खमरी, कूड़न एवं छतरपुर जिले के राजस्व ग्राम पाठापुर, नैगुंवा, डुंगरिया, कदवारा के संबंध में चर्चा की गई। इन राजस्व ग्रामों की लगभग 3300 हेक्टेयर भूमि पन्ना टाइगर रिजर्व में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित की गई है। जबकि इन गांवो का कुल रकवा (पूर्व में पन्ना टाइगर रिजर्व मे सम्मिलित क्षेत्र घटाकर) 7297 हेक्टेयर है। कुल रकवा में शासकीय भूमि, निजी भूमि एवं राजस्व वन क्षेत्र सम्मिलित है। प्रस्तावित लगभग 3300 हेक्टेयर भूमि में राजस्व वनक्षेत्र सम्मिलित नही है। उक्त राजस्व ग्रामों में सम्मिलित राजस्व वनक्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	जिले का नाम	रकवा (हेक्टेयर में)
1.	पन्ना	1989.26
2.	छतरपुर	1670.509

उक्त राजस्व वन क्षेत्र का अधिकाशं क्षेत्र अतिक्रमित है एवं वन अधिकार कानून 2006 के तहत इसमें खेती हेतु अधिकार पत्र वितरित किये गये है। इस अतिक्रमित राजस्व वन भूमि को भी विस्थापन में जोड़ने के संबंध में चर्चा की गई। यह तय किया गया कि, श्री पी0सी0 गुप्ता अधिशांसी अभियंता, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, भोपाल (म0प्र0) द्वारा उक्त ग्रामों की के0एम0एल0 फाईल श्री अभय भास्कर उप वन संरक्षक, भोपाल म0प्र0 को उपलब्ध कराये जिससे इन राजस्व ग्रामों में वर्ममान में खेती/वन का कुल रकवा ज्ञात हो सकें। यह कार्यवाही तत्काल की जानी है। तत्पश्चात ही अगली बैठक रखी जायेगी। चर्चा के उपरांत सभी का धन्यवाद पश्चात बैठक समाप्त की गई।

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

(उत्तम कुमार शर्मा)
क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व,पन्ना

...ive/ New Data/FD ...letter

Scanned with OKEN Scanner

Govt of Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश शासन

Office of the Field Director

Panna Tiger Reserve

Panna, Madhya Pradesh, (India)

Phone No. +917732-252135 (O) Fax, +917732-252120

E-mail: fdptr82@gmail.com Website: www.pannatigerreserve.in

Panna Tiger Reserve

पन्ना टाईगर रिज़र्व

क्रमांक / मा0चि0 / 2021 / 5423 /पन्ना, दिनांक 08-11-2021

प्रति,

कलेक्टर

जिला पन्ना / छतरपुर

विषय :- जिला छतरपुर जिला पन्ना एवं जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक परियोजना निर्माण हेतु (दोधन बांध) 6017 हेक्टेयर वन भूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपयोग पर देने बावत्।

—00—

पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत केन–बेतवा लिंक परियोजना निर्माण हेतु (दोधन बांध) 6017 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। छतरपुर जिले के अंतर्गत पन्ना टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र के ग्राम ढोड़न, पलकोहा, खरयानी–मैनारी एवं बफर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुकवाहा, बसुधा, मौरकुआं, घुघरी, सैपुरा डूब क्षेत्र में आ रहें है। केन–बेतवा लिंक परियोजना निर्माण हेतु (दोधन बांध) 6017 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा पन्ना जिले के ग्राम कटहरी, कोनी, मझौली, गहदरा, मरहा, खमरी, कूड़न एवं छतरपुर जिले के ग्राम पाठापुर, नैगुवां, डुगरिया, कदवारा, घुघरी, बसुधा, ककरा की कुल 4338.21 हेक्टेयर भूमि देने हेतु प्रस्तावित की गई है, ग्रामवार सूची संलग्न है।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(विजयानन्थम टी.आर.)

उप संचालक,

पन्ना टाइगर रिज़र्व,पन्ना

पृष्ठांक्रमांक / मा0चि0 / 2021 / 5424 /पन्ना, दिनांक 08-11-2021

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप संचालक,

पन्ना टाइगर रिज़र्व,पन्ना

R. Rathor

कार्यपालन अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

[illegible]

[illegible] वन भूमि एवं गैर-वन का क्षेत्रफल दर्शाती हुई सूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	ग्राम का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	ग्राम के क्षेत्रफल में से वन का क्षेत्रफल	ग्राम के शेष क्षेत्रफल (गैर वन भूमि)	डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि	अन्य परियोजना के लिए प्रतिपूरक वनीकरण हेतु आरक्षित भूमि	ग्रामों की शेष गैर वन भूमि (डूब क्षेत्र एवं प्रतिपूरक वनीकरण के पश्चात)
1	कटहरी	261.39	0	261.39			261.39
2	कोनी	966 65	756.26	210.4			210.4
3	नझौली	729.57	654.54	75.03			75.03
4	नहदरा	456.18	0	456.18			456.18
5	नरहा	1961.51	1797.13	164.37			164.37
6	खनरी	823.81	713.33	110.48			110.48
7	कुड़न	94.03	0	94.03			94.03
8	पाठापुर	360.74	218.33	142.41			142.41
9	नैगुवा	1901.34	758.13	1143.21			1143.21
10	डुगरिया	302.25	155.26	146.99			146.99
11	कदवारा	1284.64	369.23	915.41			915.41
12	घुघरी	1404.92	383.96	1020.96	51.32	600	369.64
13	बसुधा	531.76	335.46	196.29	90.63		105.66
14	खाकरा	840.26	697.25	143.01			143.01
	कुल			5080.16			4338.21

(एस.के. गावंडे)
अधिशासी अभियंता
अ.प्र., राजविअ, भोपाल

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

Govt. of Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश शासन

Office of the Field Director
Panna Tiger Reserve

Panna, Madhya Pradesh, (India)

Phone No. +917732-252135 (O) Fax. +917732-252120

E-mail: fdptr12@gmail.com Website: www.pannatigerreserve.in

Panna Tiger Reserve

पन्ना टाईगर रिजर्व

क्रमांक / मा0चि0 / 2021 / 1444 / पन्ना, दिनांक 9.10.2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– जिला छतरपुर, जिला पन्ना एवं जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक परियोजना निर्माण हेतु (दौधन बांध) 6017 हेक्टेयर वन भूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपयो पर देने बावत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / एफ–3 / 50 / 2015 / 10–11 / 3333 दिनांक 04.10.021

—00—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना निर्माण हेतु व्यपवर्तित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवेदक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 4338 हेक्टेयर गैर वनभूमि रोपण योग्य है, या नहीं इसकी जांच करने के निर्देश प्राप्त हुये है। जिसमें पन्ना जिले एवं छतरपुर जिले के ग्रामों की सूची एवं KML FILE संलग्न प्राप्त हुई है। सूची अनुसार ग्रामों की गैर वनभूमि की परिक्षेत्र अधिकारी अमानगंज बफर एवं किशनगढ़ बफर द्वारा जॉंच कराई गई जो निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम का क्षेत्रफल (हे0 में)	गैर वनभूमि जो रोपण योग्य हो सकती है (हे0में)	रोपण योग्य भूमि का प्रतिशत	रिमार्क
1	[illegible]	261.39	261.39	100%	–
2	[illegible]	966.65	210.40	100%	–
3	[illegible]	729.57	75.03	100%	–
4	[illegible]	456.18	456.18	100%	–
5	[illegible]	1961.51	164.37	100%	–
6	[illegible]	823.81	110.48	100%	–
7	[illegible]	94.03	94.03	100%	–
8	[illegible]	360.74	142.41	100%	–
9	[illegible]	1901.34	1143.21	100%	–
10	[illegible]	302.25	146.99	100%	–
11	[illegible]	1284.64	915.41	100%	–
12	[illegible]	1404.92	369.64	50%	उक्त भूमि पर 50 प्रतिशत भूमि पथरीली है जहां पर वृक्षारोपण कराना संभव नही होगा। वन्यप्राणीयों हेतु चारागाह विकास के कार्य किये जाएगें।
13	[illegible]	531.76	105.66	100%	–
14	[illegible]	840.26	143.01	100%	–
	योग–	11919.05	4338.21		–

अतः उक्त जानकारी आंशिक संशोधन उपरांत आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

(उत्तम कुमार शर्मा)
क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट - 16

संख्या:/No. N-67015(3)/1/2022-BM Section
भारत सरकार/Government of India
जल शक्ति मंत्रालय/Ministry of Jal Shakti
जल संसाधन नदी विकास और गंगा सरक्षण विभाग/D/o WR, RD & GR
(बी एम प्रभाग/BM Division)

406, Shram Shakti Bhawan, New Delhi
Dated: 27th February, 2023

ORDER

Sub: Constitution of Greater Panna Landscape Council – regarding.

1. Whereas a tripartite Memorandum of Agreement (MoA) for the implementation of the Ken-Betwa Link project (KBLP) was signed by Government of India, State Government of Madhya Pradesh (MP) and State Government of Uttar Pradesh (UP) on 22.03.2021.

2. Whereas, Government of India has approved the implementation of KBLP jointly by Centre and States of MP and UP through Special Purpose Vehicle i.e. Ken-Betwa Link Project Authority (KBLPA) in December, 2021.

3. Whereas, Government of India vide Gazette Notification F.No. N-67037/4/2018-BM dated 09.02.2022 has constituted a Steering Committee (SC) and Ken-Betwa Link Project Authority (KBLPA) for the implementation of Ken-Betwa Link Project as a joint project of Government of India and the State Governments of MP and UP.

4. Whereas, the Expert Appraisal Committee (EAC), National Board for Wildlife (NBWL) and Forest Advisory Committee (FAC), while granting conditional permission to KBLP, stipulated preparation of the Integrated Landscape Management Plan (ILMP) by National Tiger Conservation Authority (NTCA) and Wildlife Institute of India (WII) as a part of the mitigation strategy and the work was mandated by NTCA to WII through a MoU signed between UP Government, MP Government, NTCA, NWDA and WII in 2018.

5. Whereas, WII conducted extensive field studies, data collection and research work from 2018 to 2021 and submitted the final report on ILMP on 02.06.2022, with the measures for tiger conservation, vulture conservation, gharial conservation, biodiversity conservation, community engagement and integrated management plan.

6. Whereas, the Steering Committee of KBLP, in its second meeting held on 20.07.2022, stressed that the ILMP should be taken up for implementation at the earliest through various stakeholders under guidance of Greater Panna Landscape Council (GPLC) and that the ILMP document may act as a guiding document and further interventions may be taken by the concerned authorities as per recommendation of GPLC.

Contd...2/-

7. **The composition of GPLC shall be as under:**

S. No.	Name	Position
1.	Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh	Chairman
2.	ACS/Principal Secretary (Forest), Govt. of Madhya Pradesh	Member
3.	ACS/Principal Secretary (Panchayat and Rural Development), Govt. of Madhya Pradesh	Member
4.	ACS/Principal Secretary (Farmers Welfare and Agricultural Development), Madhya Pradesh	Member
5.	ACS/Principal Secretary (Forest), Uttar Pradesh	Member
6.	Joint Secretary (PP&RD), DoWR, RD&GR, MoJS	Member
7.	Member Secretary, NTCA, MoEF&CC or his/her nominee not below the rank of IG	Member
8.	Director, Wildlife Institute of India or a Scientist of WII nominated by him/her.	Member
9.	Inspector General of Forests (Wildlife), MoEF&CC	Member
10.	CEO, KBLPA, MoJS	Member
11.	Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, Govt. of MP	Member
12.	Chief Wildlife Warden, Govt. of MP	Member
13.	Chief Wildlife Warden, Govt. of UP	Member
14.	Commissioner, Sagar Division, Govt. of MP	Member
15.	District Collector & DM, Panna, Govt. of MP	Member
16.	District Collector & DM, Chhatarpur, Govt. MP	Member
17.	In-charge of Integrated Research and Learning Centre(IRLC) (Proposed to be set up in Panna District, MP)	Member
18.	Chief Conservator of Forest, Chhatarpur, Govt. of MP	Member
19.	Chief Conservator of Forest, Rewa, Govt. of MP	Member
20.	Field Director, Panna Tiger Reserve, Govt. of MP	Member Secretary

The GPLC may invite such other person(s) to participate in the meetings of the GPLC as may be necessary, based on the functional needs. GPLC may constitute Technical Advisory Committee or any other sub-committees/monitoring mechanism as per function requirements and fulfill the mandate of the Council.

Contd...3/-

8. The GPLC shall have the following objectives:

a. To enable betterment of habitat, protection, and management for flagship species viz. tiger, vultures, and gharial in the landscape;
b. To consolidate the landscape for overall biodiversity conservation through spatial prioritization and well-being of forest dependent communities; and
c. To provide species specific and site-specific monitoring strategies under the integrated landscape management context with feedback loop and adaptive management options.

9. The GPLC shall have the following functions:

i. Overseeing the overall implementation of ILMP of Greater Panna and environment management plan of KBLP;
ii. Examine the interventions proposed under ILMP covering an area of about 47,620sq.km. spread over in 11 districts of MP and UP and recommend any changes in land use or legal status of any area/component, if required;
iii. Finalize and prioritize the plan of interventions/works to be carried out as per recommendations of the ILMP document and identify the implementing agencies;
iv. Scrutinize and approve the plan of the implementing agencies and recommend allocation of requisite funds;
v. Review the progress of various interventions under ILMP and EMP and their effectiveness towards the desired objectives; and
vi. Examine and approve the budget for each financial year, the financial statement for the previous financial year, as well as the annual report, drawn up by the Authority.

10. The financial provision in respect of GPLC shall be as under:

i. All the expenses of the secretariat of the GPLC shall be borne by KBLPA;
ii. The expenditure incurred in the implementation of ILMP in PTR area related to KBLP, shall be borne by KBLPA;
iii. The expenditure incurred in the implementation of ILMP, except PTR area, related to KBLP will be borne by concerned authorities of both the States through various schemes under the Central & State Governments; and
iv. Assets created in respective States will be maintained by respective State Governments from their own budget.

11. The Council shall meet as often as necessary, as but not less than twice in a calendar year. The Council would cease to exist after completion of the ILMP.

28/02/2022

(Anand Mohan)
Joint Secretary (RD&PP)

Contd... 4/-

To

All the Members of Greater Panna Landscape Council

1. Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh (E-mail: cs@mp.nic.in)
2. ACS/Principal Secretary (Forest), Govt. of Madhya Pradesh. (E-mail: acsforest@mp.gov.in)
3. ACS/Principal Secretary (Panchayat and Rural Development), Govt. of Madhya Pradesh. (E-mail: psprd@mp.gov.in)
4. ACS/Principal Secretary (Farmers Welfare and Agricultural Development), Madhya Pradesh. (E-mail: psagriculture@mp.gov.in)
5. ACS/Principal Secretary (Forest), Uttar Pradesh. (E-mail: pccf-up@nic.in)
6. Joint Secretary (PP&RD), DoWR,RD&GR, MoJS. (E-mail: jsrd-dowr@gov.in)
7. Member Secretary, NTCA, MoEF&CC or his/her nominee not below the rank of IG. (E-mail: ms-ntca@nic.in)
8. Director, Wildlife Institute of India or a Scientist of WII nominated by him/her. (E-mail: dmohan@wii.gov.in, dwii@wii.gov.in)
9. Inspector General of Forests (Wildlife), MoEF&CC. (E-mail: igfwl-mef@nic.in)
10. CEO, KBLPA, MoJS. (E-mail: ceo-kblpa@gov.in)
11. Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, Govt. of MP. (E-mail: pccfmp@mp.gov.in, pccf.mp@mp.gov.in)
12. Chief Wildlife Warden, Govt. Madhya Pradesh. (E-mail: mptigerfoundation@mp.gov.in)
13. Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh. (E-mail: cwlwup@gmail.com)
14. Commissioner, Sagar, MP. (E-mail: commsagar@nic.in)
15. District Collector & DM, Panna, MP. (E-mail: dmpanna@nic.in)
16. District Collector & DM, Chhatarpur, MP. (E-mail: dmchhatarpur@mp.gov.in)
17. In-charge of Integrated Research and Learning Centre. (IRLC)
18. Chief Conservator of Forest, Chhatarpur. (E-mail: ccf.ctr@mp.gov.in)
19. Chief Conservator of Forest, Rewa. (E-mail: ccf.rwa@mp.gov.in)
20. Field Director, Panna Tiger Reserve. (E-mail: fdptr@rediffmail.com)

Copy for kind information to: -

1. PPS to Secretary, DoWR,RD&GR, Govt. of India.
2. PPS to Secretary, MoEF&CC, Govt. of India.
3. PPS to Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
4. ACS, WRD, Govt. of MP, Bhopal.
5. ACS, I&WRD, MoJS, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
6. Director General, NWDA, New Delhi.
7. Principal Advisor (WR), NITI Aayog, New Delhi.
8. JS&FA, DoWR,RD&GR, Govt. of India.
9. Joint Secretary (PF-II), Department of Expenditure, New Delhi.
10. SJC-1 (BM), 207, Block 3, CGO Complex, New Delhi.
11. Chief Controller of Accounts, DoWR,RD&GR, Shastri Bhawan, New Delhi.
12. ACEO(HQ&P), KBLPA and CE(N), NWDA.

परिशिष्ट-17

~~Annexure-11~~

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 04.09.2023

क्रमांक/एफ–5–6/2014/10–3 :: राज्य शासन एतदद्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना के अन्तर्गत केन–बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017 हेक्टेयर वनभूमि के व्यपवर्तन के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एफ.सी. डिविजन), नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक F-No. 8-49/2016-FC दिनांक 25.05.2017 से जारी प्रथम चरण की सशर्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक–19 के पालन में निम्नानुसार अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है:–

क्र.	समिति के सदस्य	पदनाम
1.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी (बजट), मध्यप्रदेश	अध्यक्ष
2.	उप वन महानिदेशक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
3.	संचालक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	सदस्य
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण, भोपाल	सदस्य
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश	सदस्य
6.	क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश	सदस्य सचिव

इस अनुश्रवण समिति द्वारा परियोजना के निर्माण एवं उसके बाद के समस्त कार्यों का नियमित अनुश्रवण किया जावेगा तथा भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 25.05.2017 से जारी प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु नियमित प्रबंधकीय सुझाव प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) को उपलब्ध करायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार।

4/9/23

(अशोक कुमार)
अपर सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

DS(T)
Enc. ✓
Adv. DPS Kush.
4/9

पृ0क्रमांक/एफ–5–6/2014/10–3

भोपाल, दिनाँक: 04.09.2023

1. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) नई दिल्ली
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी (बजट), मध्यप्रदेश
4. उप वन महानिदेशक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, बी–1 विंग, सातवां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, नई दिल्ली– 110003
5. संचालक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण, भोपाल
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
8. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4/9/23

अपर सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

AJ 2178

परिशिष्ट - 18

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 22(ए)192/एमपीएस/31/1424 भोपाल, दिनांक 13/09/2023

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल।

विषयः- **केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत बांध के डूब प्रभावितों हेतु विशेष पैकेज की स्वीकृति विषयक ।**

मंत्रि परिषद की बैठक दिनांक 09/09/2023, आयटम क्र.19 में केन-बेतवा लिंक परियोजना के दौधन बांध के डूब प्रभावितों हेतु विशेष पैकेज दिये जाने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार विशेष पैकेज की स्वीकृति प्रदान करता है :-

(अ) केन-बेतवा परियोजना के दौधन बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि और उस पर स्थित परिसंपत्ति के क्रय/अर्जन के लिये निम्नानुसार विशेष पैकेज दिया जावे :-

(अ-1) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतु :-

(i) क्रय/अर्जित की जाने वाली भूमि के लिये प्रति हेक्टेयर कलेक्टर गाइडलाईन भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित मुआवजा अथवा प्रति हेक्टेयर रूपये 12.50 (रूपये साढे बारह) लाख की दर से एकमुश्त राशि, जो भी अधिक हो।

तथा

अर्जित की जाने वाली कृषि भूमि पर निर्मित झोपडी/शेड इत्यादि होने की दशा में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित मुआवजा।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि पर बृक्ष/बगीचा होने की दशा में भू-अर्जन अधिनियम,2013 के तहत निर्धारित मुआवजा।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि पर कुआं/ट्यूबवेल होने की दशा में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित मुआवजा अथवा विशेष पैकेज के तहत क्रमशः रूपये 2 लाख (रूपये दो लाख) /रूपये 1 लाख (रूपये एक लाख) ।

Desktop/Dinesh2020/Letter 2020

13/9/23

(ii) राजस्व अथवा वन भूमि जिस पर प्रभावित परिवार पट्टे पर कृषि कर रहा हो तो भू-अर्जन अधिनियम,2013 के तहत निर्धारित मुआवजा अथवा प्रति हेक्टेयर रूपये 12.50 लाख (रूपये साढ़े बारह लाख) की दर से एक मुश्त राशि, जो भी अधिक हो।

(iii) भू-अर्जन अधिनियम,2013 के तहत भूमि अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी होने की दशा में अगर कृषक द्वारा पुनर्वास पैकेज का चयन किया जाता है और आंकलित मुआवजा राशि पैकेज से कम है तो अंतर की राशि कृषक को विशेष अनुदान के रूप में दी जावे। ऐसे अनुदान का भुगतान कृषक की सहमति प्राप्त कर दी जावे।

(अ-2) डूब क्षेत्र के आबादी क्षेत्र के मकानों के अर्जन हेतु :-

(i) अर्जित किए जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा भू-अर्जन अधिनियम,2013 के तहत निर्धारित मुआवजा ।

(ii) यदि प्रभावित द्वारा शासकीय भूमि पर दो वर्ष से अधिक भूमि से अतिक्रमण कर आवास बनाया गया हो और यह आवास गृह उसके आवास का एकमात्र मकान हो तो भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित मुआवजा ।

(ब) परियोजना की डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापित की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास अनुदान पैकेज दिया जावे :-

(i)(क) शहरी क्षेत्र में भूखंड (उपलब्धता अनुसार) दिये जाने की दशा में रूपये 6.50 लाख (रूपये साढ़े छः लाख) एकमुश्त पुनर्वास अनुदान।

अथवा

(ख) ग्रामीण क्षेत्र में भूखंड दिये जाने की दशा में रूपये 7 लाख (रूपये सात लाख) एकमुश्त अनुदान ।

अथवा

(ग) यदि पात्र परिवार भूखण्ड नहीं लेना चाहता है तो रू. 12.50 लाख (रूपये साढे बारह लाख) एक मुश्त पुनर्वास अनुदान।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र मे विस्थापित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति परिवार को एकमुश्त रुपये 50 हजार (रूपये पचास हजार) ।

(iii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में अधिनियम की अनुसूची-2 के समस्त अवयव यथा परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि के लिये समस्त देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी तथा इनके लिये पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

13/9/23

(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिये इच्छुक विस्थापित परिवारों की लिखित सहमति प्राप्त की जावे, लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा में ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं ।

2. परियोजना पर व्यय मांग संख्या 23/4700 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(हस्ताक्षर) 13/9/23
(व्ही.एस.टेकाम)
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 22(ए)192/एमपीएस/31/1425 भोपाल, दिनांक 13/09/2023

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त/ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/आदिम जाति कल्याण/कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
5. महानिदेशक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, जल शक्ति मंत्रालय, पालिका भवन, आर.के.पुरम, सेक्टर-13, नई दिल्ली।
6. आयुक्त, सागर संभाग, सागर ।
7. अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण, विश्वसरैया भवन, कोलार कालोनी कैम्पस, भोपाल ।
8. कलेक्टर, जिला छतरपुर/पन्ना ।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, पन्ना टाईगर रिजर्व, जिला पन्ना ।
10. मुख्य अभियंता, (बोधी) जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
11. मुख्य अभियंता, धसान केन कछार, जल संसाधन विभाग, सागर ।
12. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, छतरपुर ।
13. अधिशासी अभियंता, केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण, छतरपुर ।
14. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर/पन्ना ।
15. निज सचिव, मा. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
16. वेब मैनेजर, कार्या. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेब साईड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 13/9/23
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

Desktop/Dinesh2020/Letter 2020

परिशिष्ट-19

Annexure-22

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector Chhatarpur

No. 3854 Dated 25/8/15

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF). Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt) 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers(Recognition of forest rights) Act 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest propose. It is certified that 4279 ha forest land proposed to be diverted in favour of National Water Development Agency (name of user agency) for Daudhan Major Dam under Ken –Betwa Link Project phase-I (purpose for diversion of forest land) in Chhatarpur district falls within jurisdiction of 10 villages in Bijawar tehsil. It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4279 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forests Rights Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 22 to 22B annexure.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular /local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest Dwellers who are eligible under the FRA.

(c)The each of concerned Gram Sabha (s) , has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out , and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures , if any, having understood, the purpose and details of propose diversion. A copy of certificate issued by the sabha of 9 Villages (s) (village Mainari included in Sukhwaha Gram sabha) is enclosed as annexure 22 to 22D

(d)The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e)The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;

(f)The right of Primitive Tribals Groups and Pre-Agricultural Communities , where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) the FRA.

Encl: As above

25/08/15
जिला कलेक्टर (म.प्र.)
Distt. Chhatarpur

District Orginiser
Tribal Welfare Department
Chhatarpur (M.P.)

R Rathor
अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

बैठक दिनाँक 25/08/2015

बैठक दिनांक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 25/08/15 को 2.30 बजे किया गया जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर महोदय ने समस्त माननीय सदस्यो की उपस्थिति मे की निम्न प्रस्ताव समिति के समक्ष निराकरण हेतु रखा गया।

1.प्रस्ताव क्रमांक 1:– राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से केन बेतवा लिंक परियोजना के अन्तर्गत दौधन बांध वृहद परियोजना का कार्य प्रस्तावित है। वन भूमि संरक्षित वन क्षेत्र 4279 हे0 छतरपुर डिवीजन में की डूब क्षेत्र में आने से व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार ग्राम वनाधिकार समिति एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से उपखंड स्तरीय समिति बिजावर से प्राप्त हुआ है।

1.खरयानी कम्पार्टमेंट क्रमांक –495,497,499,500,482,483,479,501,502,505,503,495,494,484,

2. ढोड़न कम्पार्टमेंट क्रमांक – 544,542,541,539,

3.पलकोंहा कम्पार्टमेंट क्रमांक – 536,537,535,

4.मैनारी–सुकवाहा कम्पार्टमेंट क्रमांक – 508,509,510,525,

5.घुघरी कम्पार्टमेंट क्रमाक –430,431,437,438,439,440,441,442,

6.भोरखुआ कम्पार्टमेंट क्रमांक – 511,512,523,524,506,507,508,

7.वसुधा कम्पार्टमेंट क्रमांक – 433,

8.शहपुरा कम्पार्टमेंट क्रमांक – 416,443,517,518,519,

9.कुपी कम्पार्टमेंट क्रमांक – 432,

उक्त ग्रामों के कम्पार्टमेंटो मे से कुल 4279 हैक्टेयर वन भूमि के व्यापवर्तन प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति को प्राप्त हुए है जिसमें अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियो के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावे प्राप्त नही हुए अत: उक्त 10 ग्रामों की वनाधिकार समिति एवं ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव सर्व सम्मति से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ पारित कर भेजा जो उपखंड स्तरीय समिति द्वारा पारित कर प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ

उपखंड स्तरीय समिति के प्रस्ताव को निर्णय हेतु इस बैठक में रखा गया ग्राम वनाधिकार समिति एवं ग्राम सभाओं एवं उपखण्ड स्तरीय समिति के निर्णय से सहमत होते हुए समस्त अभिलेखीय दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव पर विचार कर सर्वसम्मति से पारित कर व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

25/8/15		
वनसंरक्षक/सदस्य	जिला संयोजक/सचिव	कलेक्टर/अध्यक्ष
सामान्य वन मण्डल	आदिम जाति कल्याण	जिला छतरपुर म0प्र0
छतरपुर म0प्र0	छतरपुर म0प्र0	
सदस्य	सदस्य	सदस्य
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति	जिला स्तरीय वन अधिकार समिति	जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जिला छतरपुर म0प्र0	जिला छतरपुर म0प्र0.	जिला छतरपुर म0प्र0

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

Annexur-II

FORM-II

(For Projects Other than Linear Projects)

Government of m.p.

Office of the District Collector Panna

No .... Date-

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forests (MOEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd august 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. it is certified that compartment no. P-484, P-485, P-486 P-1276, P-1277, P-478, P-1279, P-1287 and total area 979.00 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Ken betwa link project Ministry of water Resources, River Development and ganga Rejuveutation, govt.of india** falls within jurisdiction of Badgadi, Bilahta, Koni, majholi, jhalar, khamri village Tahsil panna and gunour Disstrict panna (s) in Panna, gunour tahsils, state m.p.

it is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 979.00 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulation and meetings of the forest rights committee(s), gram sabha (s), sub-division level committee (s) and the district lavel committee are enclosed as annuexure-02

(b) the proposal for sub diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular local language) have been placed before each concened gram sabha of forest-dwellers who are eligible under tha FRA

(c) the each of concerned gram sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Badgadi, Bilahta, Koni, majholi, jhalar, khamri villages (s) is enclosed as annexure-02

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50 % of the members of gram sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabha s have given their consent to it.

(f) the rights of primitive tribal groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as persection 3(1) (e) of the FRA.

9.11.15

Collector

Distt.Panna M.P.

D:\DOTW-later-02.doc

- 1708 -

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

(85)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति पन्ना

संबंधित अनुभाग के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र

1- प्रमाणित किया जाता है कि जिला पन्ना के *ग्राम कटहरी बिलहटा, मझौली एवं कोनी से 5 कि. मी. की दूरी पर* वन क्षेत्र के कक्ष कमांक RF 484, 485, 486 एवं RF 478 पन्ना जिले के अंतर्गत कुल रकबा 979 हैक्टेयर जिसमें से उपखंड पन्ना के अंतर्गत 465.27 हैक्टेयर रकबा जो बांध परियोजना के लिये व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है, में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एव अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है।

अभिलेखो के आधार पर यह पाया गया दौधन बांध परियोजना में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल रकबा **465.27** हेक्टेयर वन भूमि पर उसके चारो ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई भी दावा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नहीं है।

2- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि व्यपवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हें स्थानीय भाषा में की जा चुकी है। अथवा यह कि व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र पर किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई दावा नहीं होने के कारण यह बिन्दु लागू नहीं है। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) साथ ही अनुभाग पन्ना के अन्तर्गत सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्र **465.27** हैक्टेयर में किसी सहवास या राजस्व ग्राम की सीमा नहीं है। (यदि लागू हो तो)

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एव निर्णय केवल तभी लिया गया जब उपखण्ड स्तरीय समिति के उपस्थित सदस्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत कोरम पूर्ण था। (यदि कण्डिका 2 के सम्बन्ध में लागू हो)

4- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (ई) के अनुसार आदिम जनजाति समूह और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।

5- यह प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही (यदि कोई हो) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) की आवश्यकता अनुसार पूर्ण की जा चुकी है एवं प्रस्तावित ग्राम सभाओं की इसमें सहमति है अथवा कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है एवं पूर्ण की जा सकती है। (जो लागू हो)

संलग्न :- उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति का प्रस्ताव

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एव
अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति
पन्ना, जिला- पन्ना, म0प्र0

उप वन मण्डलाधिकारी पन्ना

सहायक आयुक्त [illegible]

R. Rathor
अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

Govt. of Madhya Pradesh

OFFICE OF THE ASS. DIRECTOR

Panna Tiger Reserve

Panna, Madhya Pradesh, (India)

PHONE NO. +07732-252135 (O) FAX. +07732-252120

E-mail: fdptr82@gmail.com Website: www.pannatigerreserve.in

मध्य प्रदेश शासन

पन्ना टाइगर रिज़र्व

क्रमांक / मा.चि. / 2015 / 3895 / पन्ना, दिनांक 07/8/2015

प्रति,

जिला संयोजक,
आदिम जाति एवं
अनु.जा.क.वि.पन्ना (म0प्र0)

विषय :- केन–बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन नवीन फार्म–1 एवं 11 से संबंधित अनुसूचि जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) वन अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक / 1268 / वन / आ.जा.क. / 2015 दिनांक 01.08.2015

——00——

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधन केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन नवीन फार्म–1 एवं 11 से संबंधित अनुसूचि जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) वन अधिनियन 2006 के तहत् चाही गई (व्यक्तिगत एवं समुदायिक अधिकारों के वन भूमि) व्यपवर्तन के प्रकरणों की जानकारी निरंक है।

आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।

उप संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व,
पन्ना (म.प्र.)

R Rathor

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

Annexure-I

FORM-I

(For Projects Other than Linear Projects)

Government of m.p

Office of the District Collector Panna

No. 2759

Date- 10-11-15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forests (MOEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd august 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted read with MOEF's letter dated 5th februry 2013 wherein moEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that compartment no. P-484, P-485, P-486 P-1276, P-1277, P-478, P-1279, P-1287 and total area 979.00 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Ken betwa link project Ministry of water Resources, River Development and ganga Rejuventation, govt.of india** falls within jurisdiction of Badgadi, Bilahta, Koni, majholi, jhalar, khamri village Tahsil panna and gunour Disstrict panna (s) in Panna, gunour tahsils, state m.p.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 979.00 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulation and meetings of the forest rights committee(s), gram sabha (s), sub-division level committee (s) and the district lavel committee are enclosed as annuexure-02.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and preagricultural communities.

9.11.15

Collector

Distt.Panna M.P.

K Rathor

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति
गुनौर जिला पन्ना (म.प्र.)

क्रमांक 879 / भू–अर्जन / 2015 गुनौर, दिनांक 24/9/15

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
(आ.जा.क.शाखा)
जिला पन्ना (म.प्र.)

विषय :– **राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार अंतर्गत दौधन बांध बृहद परियोजना हेतु ग्राम खमरी ग्राम पंचायत रामपुर के डूब क्षेत्र में प्रभावित लगभग 513.73 है0 वन भूमि व्यपवर्तन हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।**

विषयान्तर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार की केन–बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत दौधन बांध बृहद परियोजना हेतु ग्राम खमरी ग्राम पंचायत रामपुर की वन भूमि संरक्षित वन क्षेत्र पन्ना जिले के अंतर्गत कुल 979 है0 रकबा में से उपखण्ड गुनौर के अंतर्गत 513.73 है0 रकबा डूब क्षेत्र में आ रहा है। ग्राम वनाधिकार समिति एवं ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गुनौर को प्राप्त हुआ है। जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावे प्राप्त नहीं हुए हैं। ग्राम की वनाधिकार समिति एवं ग्राम सभा में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। दिनांक 17.08.2015 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा सर्व सम्मति से पारित इस प्रस्ताव में एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सहमति दी गई है। प्रस्ताव की प्रति व ग्राम सभा की सहमति संलग्न है।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गुनौर की बैठक दिनांक 24/9/2015 को आहूत कर उक्त विषय पर चर्चा की गई। उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा केन–बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत दौधन बांध बृहद परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित 513.73 है0 वन भूमि व्यपवर्तन किये जाने हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सहमति दी गई है। प्रस्ताव की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

अनुविभागीय अधिकारी
एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार
समिति गुनौर जिला पन्ना (म.प्र.)

पृ.क्र. 880 / भू–अर्जन 2015 गुनौर, दिनांक 24/9/15

प्रतिलिपि :–

1. अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

24/9/2015

अनुविभागीय अधिकारी
एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार
समिति गुनौर जिला पन्ना (म.प्र.)

R Rathor

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

(270)

कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण शाखा) टीकमगढ़ म0प्र0
क्र0 3655 [illegible] टीकमगढ़ दिनांक 2.11.2015

[illegible]
एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय समिति
[illegible] निवाड़ी /

विषय:- [illegible]
[illegible] संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।
संदर्भ:- [illegible] श्री [illegible] अधिवक्ता राष्ट्रीय [illegible] विकास प्राधिकरण [illegible]
1958-61 दिनांक 9.10.2015

[illegible] राष्ट्रीय [illegible] विकास प्राधिकरण [illegible] सिंचाई क्षमता [illegible] भूमि पर [illegible] / ओरछा एवं निवाड़ी [illegible] अधिनियम [illegible] नियम 2007 [illegible]

[illegible] अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी [illegible] अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 के तहत कोई [illegible] प्राप्त नहीं हुआ [illegible]

[illegible]
[illegible]
टीकमगढ़ दिनांक 2.11.15

क्र0 3656 [illegible] 2015
प्रतिलिपि:-
[illegible] प्राधिकरण [illegible]

[illegible]

Executive Engineer
Div. Divin. KBLPA BHOPAL

1

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Chhatarpur

NO.—99 **Dated—10/1/17**

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF). Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt) 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers(Recognition of forest rights) Act 2006 (' FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest propose. It is certified that 658.005 ha forest land proposed to be diverted in favour of National Water Development Agency (name of user agency) for Ken –Betwa Link Project phase-I (purpose for diversion of forest land) in Chhatarpur district falls within jurisdiction of 9 villages i.e. Bhorkhuwan, Ghughri, Sukhwaha in Bijawar tehsil, Selon, Vardhwaha, Pahra and Kabar including Karondiya in Rajnagar tehsil , Kusma Jot in Maharajpur and Lugasi in Nowgaon tehsil. Details are given below.

1.Upkhand Bijawar -

1. Additional submergence area under Daudhan dam in Panna Tiger Reserve- Compartment No. Kishangarh "A", "B", Deora "A" and Palkoha	502.535 Ha
2.For other components of Daudhan dam in Panna Tiger Reserve-Compartment No. 542,544,545	61.13Ha
2.Upkhand Rajnagar-	
1. For other components of Daudhan dam in Panna Tiger Reserve-PF 549,	4.37 Ha
2. For Canal in Panna Tiger Reserve- Compartment No. PF554,556, 557,559	58.02 Ha
3. For Canal in Forest Division Chhatarpur- Compartment No. PF643,644	22.63 Ha
3.Upkhand Nowgaon-i.For Canal in Forest Division Chhatarpur-	
1.Tehsil Maharajpur Compartment No. PF627	6.18 Ha
2. Tehsil Nowgaon Compartment No PF613	3.14 Ha
Total-	658.005 Ha.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 658.005 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forests Rights Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ——to ——

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular /local language) has been placed before each concerned Gram Sabha of forest Dwellers who are eligible under the FRA.

(c)The each of concerned Gram Sabha (s) , has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out , and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures , if any, having understood, the purpose and details of propose for diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of 9 Villages (s) is enclosed as annexure ——to ——

(d)The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e)The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gran Sabha have given their consent to it;

(f)The right of Primitive Tribals Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl: As above

Collector
कलेक्टर
Distt. Chhatarpur
जिला छतरपुर (म०प्र०)

K Rathor
अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति छतरपुर की बैठक दिनांक 10.1.2017 का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 10.1.2017 को शांय 4:00 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये:–

1– **प्रस्ताव क्र. 01**: राष्ट्रीय राज मार्ग 86 सागर छतरपुर के 88 कि.मी. से 130 कि.मी. तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव **अनुविभागीय अधिकारी बिजावर एवं बड़ामलहरा** से प्रस्ताव ग्राम पल्दा (दरगुंवा) कक्ष कमांक पी–101 रकवा 0.600 हे. एवं 102 रकवा 4.030 हे. तथा ग्राम गुलगंज पी.–71 रकवा 0.960 हे. कुल रकवा 5.590 हे. एवं **अनुविभाग बड़ामलहरा** के ग्राम बिलवार ग्राम पंचायत देवपुर कक्ष कमांक पी–72 रकवा 0.4875 हे. पी.–73 रकवा 0.5625 हे. ग्राम पंचायत सड़वा पी.–97 रकवा 1.1925 हे. ग्राम पंचायत सूरजपुरा रोड पी.–99 रकवा 0.4950 हे. नगरपरिषद बड़ामलहरा पी.–82 रकवा 1.2450 हे. पी.–51 रकवा 0. 2250 हे. कुल रकवा 4.207 हे. कुल रकवा– 9.7975 हे. के प्रस्ताव को ग्राम सभा, वन अधिकार समिति, एवं उपखण्ड स्तर समिति के द्वारा इन कक्ष कमांकों में कोई भी वन अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिग/सामुदायिक दावे प्राप्त नही होने से उक्त प्रस्ताव का व्यपवर्तन प्रमाण पत्र (एफ.आर.ए.) जारी करने हेतु अनुशंसा की गई है।

2– **प्रस्ताव क्र. 02**: केन बेतवा लिंक परियोजना **अनुविभाग राजनगर** के अंतर्गत आने वाले ग्राम कावर, कक्ष कमांक क. 554, 556 रकवा 27.552 हे., ग्राम सीलोन कक्ष कमांक –549, 557 रकवा 6.344 हे. ग्राम वरद्वाहा कक्ष कमांक 557, 559 रकवा 28.491 हे. ग्राम पहरा कक्ष कमांक–643, 644 रकवा 22.635 हे. कुल रकवा 85.0222 हे. एवं **अनुविभागीय अधिकारी बिजावर** ग्राम खरयानी, ढूड़न कक्ष कमांक 542, 544, 545, किशनगढ़ ''अ'', ''ब'', देवरा ''अ'' एवं पलकोंहा रकवा 563.665 हे. **अनुविभाग नौगांव** की नगरपालिका महाराजपुर (कुसमा जोत) क. 01 कक्ष कमांक 627 रकवा 6.18 हे. ग्राम गोरारी (कुसमा जोत) कक्ष क. 627 (क. 1 के वन क्षेत्र के लिये गोरारी ग्राम सभा का अतिरिक्त प्रस्ताव है) ग्राम लुगासी कक्ष क. 613 रकवा 3.14 हे. कुल रकवा 9.32 हे. वन भूमि के प्रस्ताव को ग्राम सभा, वन अधिकार समिति, एवं उपखण्ड स्तर समिति के द्वारा इन कक्ष कमांकों में कोई भी वन अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिग/सामुदायिक दावे प्राप्त नही होने से उक्त प्रस्ताव का व्यपवर्तन प्रमाण पत्र (एफ.आर.ए.) जारी करने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रस्ताव कमांक 1 एवं 2 में अंकित कक्षों के क्षेत्रों में ग्राम सभा/वन अधिकार समिति/उपखण्ड स्तर समिति में इन प्रस्तावों को निर्णय हेतु अधिनियम के दिये गये प्रावधानों के अनुसार रखा गया तत्पश्चात उक्त कक्ष कमांकों में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम के दिये गये नियमों के अनुसार समितियों द्वारा विनिश्चय प्रमाण पत्र जारी करने की

कार्यपालन यंत्री
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

निर्णय लिया गया उपखण्ड स्तर समिति के निर्णयों के पश्चात जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है।

उक्त बैठक में इन प्रस्तावों को विनिश्चिय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विचार किया गया जिसमें विनिश्चय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा संकल्प पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि इन ग्रामों में पूर्व/बाद में (एम.एल. एरिया) **के अंदर/बाहर वन अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में दिये गये हक प्रमाण पत्र धारकों को प्रतिवेदित कक्ष कमांकों के आसपास स्थित ग्रामों में रहने वाले स्थानीय (निवासी) ग्रामीण परिवारों को जंगल से प्राप्त होने वाली आय अकाष्ठीय लघुवनोपज (एन.,टी.,एफ.पी.) एवं अन्य** तेंदूपत्ता संग्रहण जो फर्मो द्वारा अधिग्रहीत होने वाले क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय से इन फर्मों द्वारा म.प्र. शासन तथा भारत शासन के वर्तमान एवं इस संबंध में भविष्य के निर्णय अनुसार एवं मुआवजा/कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित की जावेगी।

इसके अतिरिक्त उक्त प्रस्ताव में अंकित कक्ष कमांकों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो भी पूर्व/वर्तमान में अधिकार पत्र व्यक्तिगत/सामुदायिक दिये गये है उनके संबंध में फर्मो द्वारा विधि एवं म.प्र. शासन तथा भारत शासन के वर्तमान एवं भविष्य के निर्णय के अनुसार मुआवजा/कार्यवाही विधि अनुसार संपादित की जावेगी, इन शर्तो के आधार पर विनिश्चय प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

जिला संयोजक/सचिव आदिम जाति कल्याण छतरपुर म.प्र.	वन संरक्षक/सदस्य सामान्य वन मण्डल छतरपुर छतरपुर म.प्र.	कलेक्टर/अध्यक्ष जिला छतरपुर
सदस्य **जिला वन अधिकार समिति** **छतरपुर म.प्र.**	सदस्य **जिला वन अधिकार समिति** **छतरपुर म.प्र.**	सदस्य **जिला वन अधिकार समिति** **छतरपुर म.प्र.**

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

saxenasir/Letter

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Chhatarpur

NO.---909 Dated---10/1/17

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF). Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt) 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers(Recognition of forest rights) Act 2006 (' FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest propose. It is certified that 658.005 ha forest land proposed to be diverted in favour of National Water Development Agency (name of user agency) for Ken –Betwa Link Project phase-I (purpose for diversion of forest land) in Chhatarpur district falls within jurisdiction of 9 villages i.e. Bhorkhuwan, Ghughri, Sukhwaha in Bijawar tehsil, Selon, Vardhwaha, Pahra and Kabar including Karondiya in Rajnagar tehsil , Kusma Jot in Maharajpur and Lugasi in Nowgaon tehsil. Details are given below.

1.Upkhand Bijawar -	
1. Additional submergence area under Daudhan dam in Panna Tiger Reserve- Compartment No. Kishangarh "A", "B", Deora "A" and Palkoha	502.535 Ha
2.For other components of Daudhan dam in Panna Tiger Reserve-Compartment No. 542,544,545	61.13Ha
2.Upkhand Rajnagar-	
1. For other components of Daudhan dam in Panna Tiger Reserve-PF 549,	4.37 Ha
2. For Canal in Panna Tiger Reserve- Compartment No. PF554,556, 557,559	58.02 Ha
3. For Canal in Forest Division Chhatarpur- Compartment No. PF643,644	22.63 Ha
3.Upkhand Nowgaon-i.For Canal in Forest Division Chhatarpur-	
1.Tehsil Maharajpur Compartment No. PF627	6.18 Ha
2. Tehsil Nowgaon Compartment No PF613	3.14 Ha
Total-	658.005 Ha.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 658.005 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forests Rights Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ---1---to --5

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular /local language) has been placed before each concerned Gram Sabha of forest Dwellers who are eligible under the FRA.

(c)The each of concerned Gram Sabha (s) , has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out , and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures , if any, having understood, the purpose and details of propose for diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of 9 Villages (s) is enclosed as annexure ---1---to ----910

(d)The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e)The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gran Sabha have given their consent to it;

(f)The right of Primitive Tribals Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specially safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Executive Engineer
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

Collector
Distt. Chhatarpur
कलेक्टर
जिला छतरपुर (म०प्र०)

Encl: As above

R Rathor
अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Tikamgarh

NO. 22 Dated 11.1.17

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF). Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt) 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers(Recognition of forest rights) Act 2006 (' FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest propose. It is certified that 100.52 ha forest land in Tikamgarh district falls within jurisdiction of 12 villages such as compartment no. PF-294,295,296,299 of village Chari, Comp.No. PF-294,295 of village Rampur Nivawri, Comp. No. PF-294,318A of village Basatguwaon, Comp. No. PF-318A of village Gudanajdikpali, Comp. No. PF-319B of village Pali, Comp. No. RF-269 of village Etayli, Comp. No. PF-237A of village Tageri in Palera tehsil, Comp. No. PF-338B of village Deoraha, Comp. No. PF-338C of village Machora & Baharutal, Comp. No. RF-276 of village Bamhori Abda under Jatara tehsil and Comp. No. PF-209A of village Bamhorisheetal under Niwari tehsil are proposed to be diverted in favour of National Water Development Agency (name of user agency) for Ken –Betwa Link Project phase-I (purpose for diversion of forest land). It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 100.52 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forests Rights Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to ---- annexure.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular /local language) has been placed before each concerned Gram Sabha of forest Dwellers who are eligible under the FRA.

(c)The each of concerned Gram Sabha (s) , has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out , and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures , if any, having understood, the purpose and details of propose diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of 12 Villages (s) is enclosed as annexure 01 to 122

(d)The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e)The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gran Sabha have given their consent to it;

(f)The right of Primitive Tribals Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl: As above

Collector
Distt. Tikamgarh
कलेक्टर टीकमगढ़ (म.प्र.)

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

FORM –I

(For Linear Projects)

Government of M.P.

Office of the District Collector, Tikamgarh

No. ...77......... Date 11.1.17

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, It is certified that 100.52 ha forest land in Tikamgarh district falls within jurisdiction of 12 villages such as compartment no. PF-294,295,296,299 of village Chari, Comp.No. PF-294,295 of village Rampur Nivawri, Comp. No. PF-294,318A of village Basatguwaon, Comp. No. PF-318A of village Gudanajdikpali, Comp. No. PF-319B of village Pali, Comp. No. RF-269 of village Etayli, Comp. No. PF-237A of village Tageri in Palera tehsil, Comp. No. PF-338B of village Deoraha, Comp. No. PF-338C of village Machora & Baharutal, Comp. No. RF-276 of village Bamhori Abda under Jatara tehsil and Comp. No. PF-209A of village Bamhorisheetal under Niwari tehsil.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 100.52 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 01-122.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl: As above

Collector
कलेक्टर
Distt. Tikamgarh
टीकमगढ़ (म० प्र०)

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Divin., KBLPA, BHOPAL

Cost Benefit Analysis
Ken-Betwa Link Project
On the basis of Guidelines for Forest Land Diversion 2018 *(परिशिष्ट 20)*

Table-A Cases under which a cost benefit analysis for forest area diversion required

No.	Nature of Proposal	Applicable/ Not applicable	Remarks
1	All categories of proposals involving forest land up to 20 hecares in plains And upto 5 hectares in hills.	Not applicable	
2	Proposal for defence installation purpose and oil prospecting (Prospecting only)	Not applicable	
3	Habitation, establishment of Industrial units, tourist lodges complex and other Building construction.	Not applicable	
4	All other proposals involving forest land more than 20 hectares in plains and more than 5 hectares in hills including roads, transmission lines, minor, medium and major irrigation projects, hydro projects, mining activity railway lines, location specific installations like micro-wave station, auto retreater centers, TV towers etc.	Applicable	These are cases where a cost benefit analysis is necessary to Determine when diverting the forest land to non-forest use of overall public interest. Ken-Betwa Link Project falls under this category.

Executive Engineer
Ken-Betwa Link Project Authority
Bhopal

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

Table-B Estimation of Cost of Forest Diversion

No.	Parameters	Remarks
1	Ecosystem services losses due to Proposed forest diversion.	Ecosystem service due to diversion of forest land suggested by the Central Powered Committee as per the forest classification Report of proposed Project is Rs 8.03 & 6.26 Lakh/Ha. Cost of Land =4206.5x80.3= 337782.00 Lakh =1221.93*8.03=9812.09 Lakh =588.66*6.26=3685.01 lkh = **Total forest Land 6017 ha Rs 351279.10**
2	Loss of animal husbandry productivity including cost of fodder	As per the cost benefits guideline i.e. 10 % of N.P.V. = Rs 351279.10*10%=**Rs 35127.91 Lakh**
3	Cost of human resettlement	**Rs 42881.74 Lakh**
4	Loss of Public facilities and administrative infrastructure (Roads, building, schools, dispensaries, Electric, railways etc.) on forest land which would required forest land if	Included in the Item No.3
5	Possession value of forest land diverted	The possession value of forest land diverted is taken 30% of the N.P.V. due to loss of forest. = Rs **351279.10 Lakh@30% = 1,05,383.73 Lakhs**
6	Cost of Suffering to oustees	Not Applicable
7	Habital Fragmentation Cost	Forest land is being acquired for construction of dam, submergence & spill channel of Daudhan dam & Link Canal of Ken-Betwa Link Project. There is no amount is taken under this account.
8	Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost	The cost @ Rs 4 lakh per Ha. is taken for compensatory afforestation and soil moisture conservation. Hence amount will be = **6017 x 4 = Rs 24068.00 Lakh**
9	Total cost due to forest land diversion	Total cost due to forest land diversion for Ken-Betwa Link Project will be : 351279.10 + 35127.91 +42881.74+105383.73 + 24068.00 = **Rs 558740.48 Lakh**

R Rathor

Executive Engineer
Ken-Betwa Link Project Authority
Bhopal

आधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

Table–C Existing Guidelines for Estimation Benefits of Forest Diversion in Cost Benefit Analysis

S.No	Parameters	Remarks
1	Increase in productivity attribute to the specific project	The crop production benefit due to Project will be 730884.36 lakh in designed life of 100 years. Water level will be increased and economic growth of command area will be boosted. Project also provide 127 MCM of Drinking water to the Damoh, Chhatarpur, Panna & Tikamgarh districts of MP & Banda, Jhansi, Lalitpur & Mahoba districts of UP.
2	Benefits to Economy due to the specific project	Project will trigger economic development with irrigation facility To a land of 702000 ha. In the command area. Irrigation is proposed by pressurized pipe system.
3	No. of population benefitted due to specific project	After completion of project large number of population will be benefited of Chhatarpur, Tikamgarh, Panna & Niwari districts of MP & Banda, Mahoba ,Jhansi & Lalitpur districts of UP villages with large no. of tribal's.
4	Economic benefits due to direct and indirect employment due to the Project.	The project will provide direct and indirect employment for approximate 5000 people due to the project.
5	Economic benefits due to compensatory afforestation	Economic benefit due to compensatory afforestation has been considered as per the benefit of C.A. Guideline of Ministry for N.P.V. estimation.

COST BENEFIT ANALYSIS

Total cost due to forest land (Rs. Lakh) : Rs **558740.48 Lakh/**

Total benefit due to the project (Rs. Lakh) : **Rs 730884.36**

Benefit Ratio of project : **1:1.31**

R Rathor

Executive Engineer
Ken-Betwa Link Project Authority
Bhopal

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
अन्वे. खंड, के.बे.लि.प.प्रा., भोपाल
Inv. Divin., KBLPA, BHOPAL

परिशिष्ट - 21

CA schemes and KML files for Ken-Betwa Link Project

S.No	Site no.	Division	Compartment No.	Plantable area in Ha	Proposed CA Amount (Rs.)
1	11	Damoh	129	46	17024125.17
2	13	Damoh	236	30	13154978.28
3	15	Damoh	195 part 2	40	15955937.16
4	16	Damoh	195 part 1	30	13567045.60
5	17	Damoh	238	33	13620078.51
6	18	Damoh	203	48	18225548.71
7	19	Damoh	343	64	21824532.53
8	20	Damoh	339	50	18915828.50
9	21	Damoh	118	46	18359687.53
10	22	Damoh	182	77	25054853.30
11	23	Damoh	423	45	18126034.92
12	24	Damoh	18	41	15229171.89
13	25	Damoh	47	52	18690185.60
14	27	Damoh	8	50	18352364.64
15	28	Damoh	7	55	19353607.87
16	29	Damoh	53	53	19107099.61
17	30	Damoh	421	71	23383890.92
18	31	Damoh	422	55	19197606.77
19	35	Damoh	79	31	13594327.64
20	37	Damoh	253	38	15380073.97
21	38	Damoh	253, 254	58	20041568.31
22	42	Damoh	239, 241	42	16284661.21
23	113	Chatarpur	238	40	16061645.42
24	114	Chatarpur	250	28	14358356.04
25	115	Chatarpur	290	40	17292063.82
26	126	Chhatarpur	1	45	16956039.89
27	130	Chhatarpur	635	40	15919330.23
28	131	Chhatarpur	644	25	11588061.92
29	240	Tikamgarh	144	50	19343829.88
30	241	Tikamgarh	121, 122	25	1164176.62
31	242	Tikamgarh	122 Part	70	27395271.75
32	246	Tikamgarh	156	40	17395232.42
33	247	Tikamgarh	158 Part	40	16459587.33
34	248	Tikamgarh	158	40	16729075.27
35	249	Tikamgarh	159 Part	100	31810263.93
36	308	Panna South	678	54	23506223.85
37	309	Panna South	679	56	23971875.44
38	310	Panna South	680 part 1	40	20615029.50
39	311	Panna South	680 part 2	52	23808485.05
40	314	Panna South	922	62	22508755.27
41	315	Panna South	936	40	16714522.18
42	316	Panna South	937	54	20715203.26
43	318	Panna South	957	39	16362448.40
44	319	Panna South	965	43	18584735.41

S.No	Site no.	Division	Compartment No.	Plantable area in Ha	Proposed CA Amount (Rs.)
45	320	Panna South	982	42	17381850.39
46	321	Panna South	986	33	13925022.84
47	323	Panna South	1003	48	19467660.25
48	325	Panna South	1014	40	16560507.84
49	326	Panna South	1045	48	18703649.77
50	328	Panna South	1138	31	19109391.39
51	329	Panna South	1102	33	19710557.47
52	331	Panna South	1128	33	21762176.55
53	332	Panna South	1133	24	17421929.36
54	361	Chhatarpur	732	55	20203284.69
55	367	Chhatarpur	719	100	32789313.11
56	370	Vidisha	490	49	17697160.33
57	371	Vidisha	508	25	13633204.63
58	372	Vidisha	513	40	15513138.07
59	373	Vidisha	514	31	14655263.98
60	375	Vidisha	536	28	14151221.09
61	385	Vidisha	542	56	18771106.38
62	397	Panna North	71, 72	56	23611009.43
63	398	Panna North	75	59	24542934.17
64	400	Panna North	86	26	16518868.67
65	401	Panna North	87	25	17180051.51
66	402	Panna North	118, 119	36	19932686.73
67	403	Panna North	128	31	19055266.99
68	405	Panna North	68	72	28364694.23
69	406	Panna North	70	67	27067891.61
70	407	Panna North	92	66	28030612.40
71	408	Panna North	129	45	20779114.34
72	409	Panna North	139	90	34065800.62
73	410	Panna North	141	40	19632834.84
74	414	Panna North	418	50	24508149.75
75	415	Panna North	449	49	23258614.79
76	416	Panna North	451	38	18915377.63
77	417	Panna North	456	24	13217875.19
78	418	Panna North	466	37	18203072.89
79	426	Sagar south	686	49	19050620.57
80	428	Sagar south	741	58	19637605.03
81	433	Sagar south	673	33	14436303.64
82	434	Sagar south	678	36	15386467.05
83	447	Tikamgarh	206	52	24594953.32
84	506	Panna Tiger Reserve	57	42	21258580.16
85	507	Panna Tiger Reserve	464	46	21015868.37
86	510	Panna Tiger Reserve	471	28	15585367.76
87	512	Panna Tiger Reserve	59	52	27404041.46
88	635	Panna Tiger Reserve	1327	26	14032394.15
89	636	Panna Tiger Reserve	1330	87	30257531.58
90	637	Panna Tiger Reserve	1283	50	21048974.86

S.No	Site no.	Division	Compartment No.	Plantable area in Ha	Proposed CA Amount (Rs.)
91	638	Panna Tiger Reserve	1289	47	19942022.24
92	639	Panna Tiger Reserve	1378	41	18250220.81
93	640	Panna Tiger Reserve	1320	61	24210928.35
94	60	Panna Tiger Reserve	397 Part 1	59	30824882.35
95	61	Panna Tiger Reserve	397 Part 2	30	19497632.44
96	62	Panna Tiger Reserve	407	80	35828315.55
97	63	Panna Tiger Reserve	408	90	14003252.04
98	64	Panna Tiger Reserve	409	37	19846887.89
99	73	Raisen	17 Part 1	49	19291149.11
100	122	Sagar North	382	40	15254597.46
101	124	Sagar North	324 Part 1	40	1536908.05
102	128	Sagar North	97	33	13260919.76
103	129	Sagar North	425	41	14775732.25
104	130	Sagar North	98	54	22044783.92
105	132	Sagar North	103	36	14293738.77
106	133	Sagar North	321	40	17003736.06
107	134	Sagar North	197	36	13610025.14
108	135	Tikamgarh	135, 164	60	25307586.09
109	136	Panna Tiger Reserve	651 Part 1	22	12525259.15
110	137	Panna Tiger Reserve	651 Part 2	26	13452582.47
111	204	Panna Tiger Reserve	311, 304	50	23175360.85
112	205	Panna Tiger Reserve	305	30	15814259.75
113	211	Sagar South	943	25	13681750.61
114	212	Sagar South	984	80	24005393.79
115	214	Sagar South	995	30	15694164.69
116	232	Sagar North	290 Part 1	40	16715638.09
117	233	Sagar North	290 Part 2	30	13960528.46
118	235	Sagar North	339	30	13845049.19
119	236	Sagar North	378	36	14357974.46
120	237	Sagar North	379	40	16022001.27
121	238	Sagar North	473 Part 1	40	16485015.86
122	284	Sagar North	184	30	13102076.66
123	295	Panna North	300	40	18348000.06
124	296	Panna North	441, 443	60	28697651.34
125	297	Panna North	460	60	28095108.25
126	310	Chhatarpur	235	70	24403512.71
127	312	Chhatarpur	288	63	22528859.68
128	313	Panna Tiger Reserve	557	107	35838519.20
129	321	Chhatarpur	193	40	16871503.24
130	322	Chhatarpur	313	25	13749386.82
131	326	Chhatarpur	733	51	20319468.42
132	335	Sagar North	177	30	12693140.48
133	336	Sagar North	196	30	12809805.44
			TOTAL	**6123**	**2529728752.61**

नोटः– उक्त क्षेत्रों की KML फाइल सीडी में पृथक से संलग्न है।

परिशिष्ट-22

मध्य प्रदेश टाइगर फाउन्डेशन सोसायटी

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश
भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड नम्बर-2, तुलसी नगर, भोपाल (462003)
ईमेल: mptigerfoundation@mp.gov.in, दूरभाष नं: 0755-2674206

क्रमांक/एम.पी.टी.एफ.एस/8183 दिनांक : 15/09/2023

प्रति,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध),
   वन भवन, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कैम्पा,
   वन भवन, मध्यप्रदेश।

विषय :- जिला छतरपुर, जिला टीकमगढ के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक परियोजना निर्माण हेतु (दौधन बांध) 6017 हेक्टेयर वन भूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की राशि रु.2,21,73,28,000/- (दो अरब इक्कीस करोड़ तेहत्तर लाख अठ्ठाइस हजार) मध्यप्रदेश कैम्पा में हस्तांतरण करने बावत्।

संदर्भ :- म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र/एफ/1387080/2023/10-2 दिनांक 27.06.2023, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) का पत्र क्र/एफ-3/50/2015/10-11/5/4110 दिनांक 14.09.2023 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कैम्पा की कार्यालयीन टीप क्र/350 दिनांक 07.07.2023।

मध्यप्रदेश टाइगर फाउन्डेशन सोसायटी में संदर्भित पत्रों के निर्देशों के परिपालन में उपरोक्त राशि रु.2,21,73,28,000/- (दो अरब इक्कीस करोड़ तेहत्तर लाख अठ्ठाइस हजार) भारत सरकार के STATE CAMPA COMPENSATORY AFFORESTATION FUND CAF के नाम से संचालित खाता क्र 520101263743590 (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, म.प्र. कैम्पा) आई.एफ.एस.सी. कोड- UBIN0903710 ब्रांच नई दिल्ली में दिनांक 15.09.2023 को निम्नानुसार हस्तांतरण की जा चुकी है।

क्र.	दिनांक	चैक क्र.	यू.टी.आर. क्र.	राशि (रु.)
1	15.09.2023	096834	SBINR52023091572491318	44,34,65,600/-
2		096835	SBINR52023091572492481	44,34,65,600/-
3		096833	SBINR52023091572494055	44,34,65,600/-
4		096837	SBINR52023091572494920	44,34,65,600/-
5		096836	SBINR52023091572495958	44,34,65,600/-
			कुल राशि	2,21,73,28,000/-
			(रुपये दो अरब इक्कीस करोड़ तेहत्तर लाख अठ्ठाइस हजार)	

उपरोक्त राशि की प्राप्ति की पुष्टि कर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

15/9/2023

(सत्यानंद)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

15/09/23

Shobha/Desktop/MPTFS Letter Head/Hindi Letter

परिशिष्ट-23 ①

XIX

Annexure-XIX

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई 2014—श्रावण 2, शक 1936

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2014

क्र. एफ. 15-21-2010-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2006) की धारा 38V(4)(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-21-2010-दस-2, दिनांक 9 अगस्त, 2012 द्वारा पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन का 1002.42 वर्ग किलोमीटर घोषित किए गए बफर क्षेत्र में संशोधित क्षेत्रफल तथा उत्तरी एवं पश्चिमी सीमाओं को निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :—

पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन का संशोधित क्षेत्रफल :

(1) आरक्षित वन	191.86 वर्ग किलोमीटर के स्थान पर 197.43 वर्ग किलोमीटर.
(2) संरक्षित वन	681.58 वर्ग किलोमीटर के स्थान पर 695.25 वर्ग किलोमीटर.
(3) अन्य क्षेत्र	128.98 वर्ग किलोमीटर के स्थान पर 129.29 वर्ग किलोमीटर.
(4) कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	1002.42 वर्ग किलोमीटर के स्थान पर 1021.97 वर्ग किलोमीटर.

सीमाओं में संशोधन का विवरण:

उत्तर—पूर्व अधिसूचना के "पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के कक्ष पी-522 (भाग) की उत्तरी सीमा" के स्थान पर-"कक्ष क्रमांक पी-552 (भाग) की सीमा पर ग्राम सलैया की क्षतिपूर्ति वनीकरण में प्राप्त भूमि को शामिल करते हुए नवीन सीमा" प्रतिस्थापित किया जाता है.

पश्चिम—पूर्व अधिसूचना के "पी-522 की पश्चिमी सीमा एवं कक्ष क्रमांक पी-523, पी-524ए, पी-510, पी-509 की उत्तरी सीमा ग्राम सुकवाहा को शामिल करते हुए श्यामरी नदी तक" के स्थान पर-"वनखण्ड किशनगढ़ 'बी' के पश्चिमी दक्षिणी सीमा जो कि पी-552 से मिलता है, वनखण्ड किशनगढ़ 'बी' के श्यामरी नदी की पश्चिमी उत्तरी सीमा जो कि पी-440 तक एवं पी-442 की दक्षिणी सीमा तक" प्रतिस्थापित किया जाता है.

अधिसूचना दिनांक 9 अगस्त, 2012 में उल्लेखित उत्तर एवं पश्चिम की शेष सीमाएं तथा दक्षिण एवं पूर्व सीमा यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशान्त कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2014

क्र. एफ. 15-21-2010-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-21-2010-दस-2, दिनांक 24 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशान्त कुमार, सचिव.

Bhopal, the 24th July 2014

No. F 15-21-2010-X-2.—In exercise of the powers conferred by Section 38V(4)(ii) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) (as amended up to 2006), the Government of Madhya Pradesh hereby amends 1002. 42 Sq. Km. area of buffer zone of Panna Tiger Reserve declared vide Madhya Pradesh Forest Department notification No. F-15-21-2010-X-2, dated 9th August, 2012, as area and northern and western boundaries of buffer zone of Panna Tiger Reserve are amended and notified as under :—

ANNEXURE

(1)	Reserve Forest	197.43 Sq. Km. instead of 191.86 Sq. Km.
(2)	Protected Forest	695.25 Sq. Km. instead of 681.58 Sq. Km.
(3)	Other Area	129.29 Sq. Km. instead of 128.98 Sq. Km.
(4)	Total Geographical Area	1021.97 Sq. Km. instead of 1002.42 Sq. Km.

Description of amendment in boundaries :

North—"northern boundary of compt. No. P-552 (Part) of Panna National Park" in earlier notification is amended as "where the boundary of compt. No. P-552 (Part) and acquired land of village Salaiya for Compensatory Aforestation is included."

West—"northern boundary of P-523, P-524-A, P-510, P-509 up to village Sukhwaha including the revenue area of Sukhwaha village up to Shyamary river" in earlier notification is amended as "from the, meeting point of south western boundary of Kishangarh 'B' Block with P-522, north western and northern boundary of Kishangarh 'B' Block following Shyamary river up to the meeting point of southern boundary of P-440 and up to southern boundary of P-442."

Rest of the boundaries of north and west and the boundary of south and east as shown in notification dated 9th August, 2012, remain unchanged.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

PRASHANT KUMAR, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

(23) (40)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 360] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 अगस्त 2012—श्रावण 18, शक 1934

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2012

क्र. एफ. 15-21-2010-दस-2.—चूंकि, राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे विनिर्दिष्ट सूची में सम्मिलित क्षेत्र पन्ना टाईगर रिजर्व के क्रिटिकल टाईगर हैबिटेट या कोर क्षेत्र के बफर क्षेत्र के रूप में पर्याप्त महत्व का है तथा जहां क्रिटिकल टाईगर हैबिटेट की समग्रता एवं व्याघ्र प्रजातियों के पर्याप्त विचरण को सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षाकृत कम प्राकृतावास संरक्षण की आवश्यकता है, तथा जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के जीविकोपार्जन, विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की सम्यक मान्यता के साथ वन्य प्राणियों एवं मानव गतिविधियों के सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है एवं जिसकी सीमायें वैज्ञानिक एवं विषयपरक मानदण्ड के आधार पर संबद्ध ग्राम सभा एवं इस प्रयोजन के लिये गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श के आधार पर निर्धारित की गई है.

अतः, राज्य शासन, एतद्द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2006) की धारा 38 V (4)(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए नीचे विनिर्दिष्ट 1002.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ''पन्ना टाईगर रिजर्व का बफर क्षेत्र'' घोषित करता है:—

परिशिष्ट

(1)	जिला	पन्ना, छतरपुर एवं दमोह
(2)	वनमंडल	उत्तर/दक्षिण वनमण्डल पन्ना, छतरपुर वनमण्डल एवं दमोह वन मण्डल
(3)	वन परिक्षेत्र	उत्तर वनमंडल, पन्ना के अजयगढ़, विश्रामगंज एवं पन्ना परिक्षेत्र दक्षिण वनमण्डल पन्ना के अमानगंज परिक्षेत्र, छतरपुर वनमण्डल के किशनगढ़ एवं छतरपुर परिक्षेत्र एवं दमोह वनमण्डल के हटा परिक्षेत्र.
(4)	भूमि की श्रेणी	आरक्षित/संरक्षित वन भूमि एवं राजस्व ग्रामों की भूमि
(5)	आरक्षित वन	191.86 वर्ग किलोमीटर
(6)	संरक्षित वन	681.58 वर्ग किलोमीटर
(7)	अन्य क्षेत्र	128.98 वर्ग किलोमीटर
(8)	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	1002.42 वर्ग किलोमीटर

सीमायें :—पन्ना टाईगर रिज़र्व के बफर जोन की सीमायें निम्नानुसार रहेंगी: —

उत्तर—छतरपुर वनमण्डल के कक्ष पी-531 की उत्तरी-पूर्वी सीमा, कक्ष पी-552 (पार्ट) की उत्तरी सीमा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के कक्ष पी-552 (पार्ट) की उत्तरी सीमा, पी-555, पी-558 की पश्चिमी सीमा, कक्ष पी-559 की पश्चिमी एवं पूर्वी सीमा, कक्ष पी-557 की उत्तरी तथा पूर्वी सीमा, कक्ष पी-556 की पूर्वी सीमा, कक्ष पी-554 की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा पुरवाहा नाला तक, पुरवाहा नाला जो कक्ष पी-549 पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी सीमा है से कक्ष पी-547, पी-546 की पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा ग्राम भुसौर को शामिल करते हुये केन नदी तक. केन नदी, कक्ष पी-651 तक, कक्ष पी-651 की पश्चिमी सीमा ग्राम बरबसपुरा एवं पाटन को शामिल करते हुये, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के कक्ष पी-662, पी-664 की पश्चिमी सीमा, कक्ष पी-669 की पश्चिमी, उत्तरी एवं पूर्वी सीमा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के कक्ष पी-665, पी-666, पी-667 की उत्तरी सीमा, कक्ष पी-668 की पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा केन नदी तक एवं कक्ष पी-671 सम्मिलित करते हुए तथा केन नदी ग्राम मड़ला, नहरी, बगौहा को शामिल करते हुये कक्ष पी-262 की पश्चिमी कोने तक, कक्ष पी-260 सी, पी-260 बी, की पश्चिमी उत्तरी सीमा कक्ष पी-262 की उत्तरी सीमा, कक्ष पी-261 की पश्चिमी सीमा, कक्ष पी-287 की उत्तर पूर्वी सीमा, कक्ष पी-286बी, पी-285, पी-284 की उत्तरी पश्चिमी सीमा, कक्ष पी-283, पी-281, पी-179 की पश्चिमी सीमा, कक्ष पी-178 की दक्षिणी, पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा, कक्ष पी-182 की पश्चिमी, उत्तरी एवं पूर्वी सीमा, कक्ष पी-183 की पूर्वी सीमा, कक्ष पी-192, पी-191, पी-204, पी-203 की उत्तरी सीमा, कक्ष पी-202 की पश्चिमी उत्तरी पूर्वी सीमा, कक्ष पी-201, पी-200, पी-199, पी-198 की पश्चिमी सीमा, कक्ष पी-197 एवं पी-210 की पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा, कक्ष पी-209 एवं पी-208 की पश्चिमी सीमा कक्ष पी-207 की पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा, कक्ष पी-221, पी-220 की पश्चिमी सीमा, कक्ष पी-219 की उत्तरी सीमा, कक्ष पी-220 की उत्तरी सीमा पन्ना-अजयगढ़ मार्ग के उत्तर पूर्वी कोने तक.

पूर्व—पन्ना अजयगढ़ मार्ग के उत्तर पूर्वी कोने से कक्ष पी-220 की पूर्वी सीमा एवं कक्ष पी-221 की दक्षिणी सीमा, कक्ष पी-208, पी-209 एवं पी-318 की पूर्वी सीमा, कक्ष पी-327 की उत्तरी, पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा, कक्ष पी-319 की उत्तरी पूर्वी सीमा, कक्ष पी-330 की उत्तरी, पूर्वी सीमा, कक्ष पी-331 की पूर्वी, दक्षिणी सीमा ग्राम रानीपुर को बाहर करते हुए, कक्ष पी-322 के पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा, कक्ष पी-313 की दक्षिणी सीमा, पी-306 की पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा, कक्ष पी-294 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा, कक्ष पी-289, 290 की पूर्वी सीमा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के कक्ष आरएफ-266, 291 एवं 272 की पूर्वी सीमा, गंगऊ अभयारण्य के पी-273, आरएफ-274, पीएफ-276 की पूर्वी सीमा, आरएफ-280, 375 की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा, कक्ष पी-377 की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा एवं कक्ष पी-390, 388 ग्राम अमझिरिया, पी-396 की दक्षिणी सीमा, कक्ष पी-397, पी-398, पी-399, पी-419, पी-420, पी-421 की पूर्वी सीमा.

दक्षिण—कक्ष पी-421 की दक्षिणी सीमा, कक्ष पी-425 की पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा, कक्ष पी-426 की दक्षिणी सीमा, कक्ष पी-405 की पूर्वी सीमा, कक्ष पी-407, पी-408, पी-409 की दक्षिणी एवं पूर्वी सीमा पन्ना-कटनी मार्ग तक, कक्ष पी-1360 बी, पी-1354 बी, पी-1347 बी, पी-1342 बी, पी-1336 बी की दक्षिणी सीमा, कक्ष पी-1337, पी-1328, पी-1329, ग्राम कचनारी, कक्ष पी-1330, पी-1319 की पूर्वी सीमा, कक्ष पी-1320, पी-1321 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा, कक्ष पी-1303, पी-1302, पी-1295, पी-1296, पी-1297, पी-1288, पी-1289, की दक्षिणी सीमा, कक्ष पी-1290 की दक्षिणी पूर्वी सीमा, कक्ष 1281 की दक्षिणी सीमा केन नदी तक तथा केन नदी, कक्ष पी-1284 की पूर्वी सीमा, कक्ष पी-1284 एवं पी-1283 की दक्षिणी सीमा छतरपुर जिले की सीमा तक. छतरपुर वन मण्डल के कक्ष पी-474, पी-473, पी-472, पी-471 की दक्षिणी सीमा, कक्ष पी-470, पी-469, पी-468 की दक्षिणी पूर्वी सीमा दमोह जिले की सीमा तक. दमोह वनमण्डल के कक्ष 375, 374, 65 की पूर्वी सीमा, कक्ष पी-376, 64 की दक्षिणी, सीमा, कक्ष पी-367 की पूर्वी दक्षिणी सीमा, कक्ष पी-366, 59, 58, 57 की दक्षिणी सीमा, कक्ष पी-365 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा, कक्ष 57, 56, 55, पी-359, पी-360 की दक्षिणी सीमा ग्राम मड़ियादो एवं धूला दहरिया को बाहर करते हुये.

पश्चिम—दमोह वनमण्डल के कक्ष पी-361 की पश्चिमी सीमा, कक्ष 32 की दक्षिणी, पश्चिमी सीमा, कक्ष 31 की पश्चिमी उत्तरी, पूर्वी सीमा ग्राम [illegible] को बाहर करते हुये, कक्ष पी-[illegible], 34, की उत्तरी सीमा, कक्ष 35 की पश्चिमी, उत्तरी सीमा, कक्ष 37 की उत्तरी सीमा, कक्ष 36 की [illegible] पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा [illegible]

कक्ष 38 की पूर्वी, उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा ग्राम चौरईया एवं पाटन को बफर जोन से बाहर करते हुये, कक्ष पी-352, पी-351 की पश्चिमी सीमा, तथा छतरपुर वनमण्डल के कक्ष पी-446, पी-445, पी-444, पी-443, पी-517, पी-519, पी-521, पी-522 की पश्चिमी सीमा एवं कक्ष पी-523, पी-524ए, पी-510, पी-509 की उत्तरी सीमा ग्राम सुकवाहा को शामिल करते हुये श्यामरी नदी तक, कक्ष पी-525. पी-526, पी-528, पी-529 की पश्चिमी सीमा, कक्ष पी-530 की पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा, ग्राम अमरौनिया को बाहर करते हुये.

अधिसूचित सीमा के भीतर स्थित छतरपुर जिले के ग्राम कदवारा, भैसावर, रैपुरा, गरदा, झरकुआ, टपारा, गणेशगंज, पटना, फुरताल का राजस्व क्षेत्र पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन में सम्मिलित नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशान्त कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2012

क्र. एफ. 15-21-2010-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-21-2010-दस-2, दिनांक 9 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.

Bhopal, the 9th August 2012

No. F- 15-21-2010-X-2.– WHEREAS, the State Government consider that the area specified in the schedule below is adequate and significant for the purpose of buffer zone to the critical tiger habitat or core area of the Panna Tiger Reserve, where a lesser degree of habitat protection is required to ensure the integrity of the critical tiger habitat with adequate dispersal for tiger species, and which aim at promoting co-existence between wildlife and human activity with due recognition of the livelihood, developmental, social and cultural rights of the local people, where in the limits of such areas are determined on the basis of scientific and objective criteria in consultation with the concerned Gram Sabha and an expert Committee constituted for the purpose;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 38V(4)(ii) of the Wildlife (Protection) Act, 1972(No. 53 of 1972) (as amended up to 2006), Government of Madhya Pradesh, hereby declares 1002.42 sq. kms. area specified in the schedule below as "Buffer Zone of Panna Tiger Reserve":—

SCHEDULE

(1)	District	Panna, Chhatarpur and Damoh
(2)	Forest Division	North/South Division Panna, Chhatarpur Division and Damoh Division
(3)	Forest Ranges	Ajaygarh, Vishramganj, Panna, Ranges of North Panna Forest Division, Amanganj Range of South Panna Forest Division Kishangarh Range of Chhatarpur Forest Division and Hata Range of Damoh Forest Division
(4)	Land Type	Reserve/Protected Forest Land and Revenue villages land.
(5)	Reserve Forest	191.86 Sq. kms.
(6)	Protected Forest	681.58 Sq. kms.
(7)	Other Area	128.98 Sq. kms.
(8)	Total Geographical Area	1002.42 Sq. kms

(6) (143)

Boundaries.—The buffer Zone Surrounds the core zone or Critical Tiger Habitat (CTH) of Panna Tiger Reserve and its boundaries are as follows :—

North—North Eastern boundary of Compartment P-531, Northern boundary of Compartment P-552 (Part of Chhatarpur Forest Division and Northern boundary of Compartment P-552 (Part) of Panna National Park, Western boundary of Compartment P-555, P-558, West Eastern boundary of Compartment P-559, Northern Eastern boundary of Compartment P-557, Eastern boundary of Compartment P-556, Northern Eastern boundary of Compartment P-554 up to Purwaha nala. Purwaha nala which is Northern boundary of Compartment P-549 of Panna National Park and Western Northern boundary of Compoartment No. P-547, P-546 including revenue area of Bhusor Village up to Ken River. Ken River to Compartment No. P-651, Western boundary of Compartment P-651 including revenue area of Barbaspura and Patan Village, Western boundary of Compartment P-662, P-664 of Panna National Park, Western Northern and Eastern boundary of Compartment P-669, Northern boundary of Compartment P-665, P-666, P-667 of Panna National Park, Western Northern boundary of Compartment P-668, up to Ken River including Compartment P-671 Ken River to Western corner of Compartment P-262 including revenue area of Madla, Nahri and Bagoha Villages. Western and Northern boundary of Compartment P-260 B, P-260 C, Northern boundary of Compartment P-262, Western boundary of Compartment P-261, Eastern and Northern boundary of Compartment P-287, Northern boundary of Compartment P-286B, North Eastern boundary of Compartment P-287, Northern Western boundary of Compartment P-286B, P-285, P-284. Western boundary of Compartment P-283, P-281, P-179, Southern Western and Northern boundary of Compartment P-178, Western Northern and Eastern boundary of Compartment P-182. Eastern boundary of Compartment P-183, Nothern boundary of Compartment P-192, P-191, P-204, P-203, West Northern and Eastern boundary of P-202, Western boundary of Compartment P-201, P-200, P-199, P-198, Western and Northern boundary of Compartment P-197 and P-210, Western boundary of Compartment P-209 and P-208, Western and Northern boundary of Compartment P-207. Western boundary of Compartment P-221, P-220, Northern boundary of Compartment P-219, Northern boundary of P-220 up to North East corner of Panna-Ajaygarh road.

East—Eastern boundary of Compartment P-220, Southern boundary of Compartment P-221, Eastern boundary of Compartment P-208, P-209, P-318 from North Eastern corner of Panna-Ajaygarh road, Northern Southern Eastern boundary of Compartment P-327, Southern Eastern boundary of Compartment P-319, Northern Eastern boundary of Compartment P-330, Eastern and Southern boundary of Compartment P-331 excluding Revenue area of Ranipur Village, Eastern and Southern boundary of Compartment P-322, Southern boundary of Compartment P-313, Eastern Southern and Western boundary of Compartment P-306, Eastern and Southern boundary of Compartment P-294, Eastern boundary of P-289 and P-290, Eastern boundary of Compartment RF-266, RF-291 and RF 272 of Panna National Park, Eastern boundary of P-273, RF-274, P-276 of Gangau WLS, Northern and Eastern boundary of RF-280, RF-375 of Gangau Sanctuary, Western and Southern boundary of Compartment P-377, Southern boundary of Compartment P-390 and P-388, Village Amjharai, P-396, Eastern boundaries of P-397, P-398, P-399, P-419, P-420, P-421.

South—Southern boundary of Compartment P-421, Eastern, Southern and Western boundary of Compartment P-425, Southern boundary of Compartment P-426 Eastern boundary of Compartment P-405, Southern and Eastern boundary of Compartment P-407, P-408, P-409 upto Panna-Katni road and again Southern boundary of Compartment P-1360 B, P-1354B, P-1347B, P-1342B, P-1336B, Eastern boundary of Compartment No. P-1337, P-1328, P-1329, Village Kachnari, P-1330, P-1319, Eastern and Southern boundary of Compartment P-1320 and P-1321 Southern boundary of Compartment No. P-1303, P-1302, P-1295, P-1296, P-1297, P-1288, P-1289 Southern Eastern boundary of Compartment No. P-1290, Southern boundary of P-1281 up to Ken River. Ken River. Eastern boundary of Compartment P-1284 and Southern boundary of 1284 and P-1283 upto Chhatarpur District boundary. Southern boundary of Compartment P-474, P-473, P-472, P-471, Southern Eastern boundary of Compartment P-470, P-469, P-468 of Chhatarpur Division upto Damoh District boundary. Eastern boundary of Compartment375, 371, 65, Southern boundary of Compartment P-376, 64, Eastern and Southern boundary of Compartment P 367, Southern boudnary of Compartment P-366, 59, 58, 57 Eastern and Southern boundary of Compartment P 365 and

Southern boundary of Compartment No. 57, 56, 55, P-359, P-360 excluding Revenue area of Madiadou and Dhula Daharia Village of Damoh Division.

West—Western boundary of Compartment P-361, Southern Western boundary of Compartment 32, Western Northern and Eastern boundary of Compartment 31 excluding revenue area of Makhura Village. Northern boundary of compartment P-350, 34, Western and Northern boundary of Compartment 35, Eastern boundary of Compartment 37, South, West and Northern boundary of 36, Eastern boundary of 37 Eastern Northern and Western boundary of Compartment 38, excluding revenue area of Chauraiya and Patan Village of Damoh Division. Western boundary of Compartment P-352, P-351, Western boundary of Compartment P-446, P-445, P-444, P-443, P-517, P-519, P-521, P-522 of Chattarpur Division and Northern boundary of Compartment P-523, P-524A, P-510, P-509 including revenue area of Sukawaha Village up to Shyamari River. Western boundary of Compartment P-525, P-526, P-528, P-529, Western and Northern boundary of Compartment No. P-530 excluding revenue area of Amronia Village. The revenue area of Kadwara, Bhaishawar, Raipura, Garda, Jharkua, Tapara, Ganeshganj, Patna, Phurtal Villages of Chhatarpur District excluded from buffer Zone of Panna Tiger Reserve.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRASHANT KUMAR, Secy.